

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जून 2017—आषाढ़ 2, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रकर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जून 2017

क्र. ई-5-932-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. कार्तिकेयन, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी को दिनांक 15 से 23 जून 2017 तक, नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. कार्तिकेयन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री बी. कार्तिकेयन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. कार्तिकेयन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

No. E-5-409-IAS-Leave-5-One.—(1) Vide this department's order of even number dated 27th May 2017 sanction has been accorded to Shri Sudhi Ranjan Mohanty, IAS (1982), Chairman, Board of Secondary Education, Bhopal to avail Ex-India earned leave of 12 days from 19th June 2017 to 30th June 2017 along with permission to prefix gazetted holidays falling on 17th and 18th June 2017, to visit London, Portugal Spain.

(2) Sanction is hereby accorded to Shri Sudhi Ranjan Mohanty to visit Germany also in addition to the above mentioned countries.

(3) The conditions, under which this granted shall remain the same as mentioned in the as over said order dated 27th May 2017.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

3841

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जून 2017

क्र. एफ-1(ए)04-2001-ब-2-दो,—राज्य शासन द्वारा श्री संतोष कुमार सिंह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्वालियर रेंज ग्वालियर का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उन्हें दिनांक 19 से 26 दिसम्बर 2016 तक, आठ दिवस लघुकृत अवकाश, स्वीकृत किया जाता है।

(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से सोलह दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संतोष कुमार सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

क्र. एफ-1(ए)24-2016-ब-2-दो.—श्री गुरूकरण सिंह, भापुसे, नगर पुलिस अधीक्षक, सराफा, जिला इन्दौर को दिनांक 5 से 14 जून 2017 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश 04 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री गुरूकरण सिंह, भापुसे का चालू कार्य श्रीमती वंदना चौहान, रापुसे, नगर पुलिस अधीक्षक, मल्हारगंज, जिला इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री गुरूकरण सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न नगर पुलिस अधीक्षक, सराफा, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री गुरूकरण सिंह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री गुरूकरण सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुरूकरण सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)85-2011-ब-2-दो.—श्री एन. पी. वरकडे, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट रेंज बालाघाट को दिनांक 19 मई से 3 जून 2017 तक, सोलह दिवस अर्जित अवकाश, 04 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री एन. पी. वरकडे, भापुसे, का चालू कार्य श्री अमित सांघी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, बालाघाट द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एन. पी. वरकडे, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट रेंज बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एन. पी. वरकडे, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एन. पी. वरकडे, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. पी. वरकडे, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)147-1990-ब-2-दो,—श्री सुधीर कुमार साही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, जेल भोपाल को दिनांक 23 मई से 9 जून 2017 तक, कुल अठारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 10 एवं 11 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार साही, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, जेल भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार साही, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार साही, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)156-95-ब-2-दो,—राज्य शासन, श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद जोन होशंगाबाद को दिनांक 5 से 13 जून 2017 तक, कुल नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 04 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के द्वितीय ब्लाक वर्ष के विस्तार वर्ष 2017 के अंतर्गत परिवार सहित गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत परिवार के निम्न सदस्यों के साथ लेह लद्दाख (जम्मू एवं कश्मीर) भ्रमण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. श्री रवि कुमार गुप्ता	—	स्वयं
2. डॉ. रचना गुप्ता	—	पत्नी
3. श्री पलक गुप्ता	—	पुत्र
4. कु. झलक गुप्ता	—	पुत्री
5. श्रीमती मिथलेश गुप्ता	—	माताजी

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, का कार्य मो. शहिद अबसार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध), पु. मु., भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद जोन होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2017

क्र. एफ-1(ए)104-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री कार्तिकेयन के., भापुसे, पुलिस अधीक्षक, अलीराजपुर को दिनांक 29 मई से 3 जून 2017 तक, कुल छः दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 28 मई व 4 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ

भोपाल, दिनांक 12 जून 2017

क्र. एफ-1(बी)159-2016-बी-4-दो.—राज्य शासन, द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2014 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600—39100+ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	15	श्री प्रशांत भदौरिया, एफ-2/21, राजस्व कॉलोनी, उज्जैन, म. प्र.—456010.	ग्वालियर
2.	27	श्री अंकित सोनी, बी-1, जानकी नगर, चूनाभट्टी, कोलार रोड, भोपाल, म. प्र.—462016.	सीहोर
3.	33	श्री सौरभ रत्नाकर, 212/2, मस्जिद वार्ड क्र. 16, बीना-इटावा, जिला सागर, म. प्र.—470113.	गुना
4.	44	श्री अमित कुमार बट्टी, श्रीमती आर. के. वट्टी, एम. एक्स, 150, कामायनी परिसर, 11 नंबर बस स्टाप, साई बोर्ड, ई-7, अरेरा कालोनी, भोपाल, म. प्र.—462016.	अनूपपुर

के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के द्वितीय ब्लाक वर्ष के विस्तार वर्ष 2017 के अंतर्गत परिवार सहित गृह नगर तमिलनाडू जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री कार्तिकेयन के. भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, अलीराजपुर, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री कार्तिकेयन के. भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कार्तिकेयन के. भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 9 जून 2017

क्र. एफ-1(ए)22-93-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री के. टी. वाईफे, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (शिकायत), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का स्वास्थ्य खराब होने के कारण दिनांक 23 जून से 23 अगस्त 2016 तक, बासठ दिवस लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 24 अगस्त 2016 से 11 अप्रैल 2017 तक, 231 दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से एक सौ चौबीस दिवस अर्द्धवेतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(2) नवनियुक्त अधिकारीगण इस आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस में कॉलम (4) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

(3) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे।

(5) नवनियुक्त अधिकारियों के सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने के स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी।

(6) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

(7) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवाएँ बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(8) परिवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे।

(9) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियुक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जाएँ एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

(10) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(11) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियुक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

भोपाल, दिनांक 13 जून 2017

क्र. एफ 1-79-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री सोलोमन यश कुमार मिंज, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (समन्वय), अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को किंग्स कॉलेज लंदन (यू. के.) में आयोजित ग्रेजुएशन सेरेमनी कार्यक्रम में शामिल होने हेतु दिनांक 23 से 30 जुलाई 2017 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश अवधि में निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सोलोमन यश कुमार मिंज, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस महानिरीक्षक (समन्वय), अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सोलोमन यश कुमार मिंज, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोलोमन यश कुमार मिंज, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2017

फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक)-1566-2017.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1, 3, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 27, 28-ए, 30, 33, 36, 40, 41, 44-ए, 45, 46, 49, 50, 56, 58, 65, 66, 68, 74, 76, 77-ए, 78, 81, 86, 89, 91, 104-ए, 107, 108 एवं 111 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ अर्थात् :-

सारणी

स. क्र.	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
“1.	अलीराजपुर	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर	कु. शोभा पोरवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर
3.	अनूपपुर	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर	श्री महेश कुमार सैनी, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर
5.	अशोकनगर	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, मूंगावली	श्रीमती शशिकांता वैश्य, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, मूंगावली अशोकनगर.
9.	बड़वानी	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, सेंधवा	श्रीमती कृष्णा परस्ते, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, सेंधवा, बड़वानी.
10.	बैतूल	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, बैतूल	कु. प्रतिभा साठवाने, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, बैतूल
13.	भिण्ड	अपर सेशन न्यायाधीश, लहार	श्री गालिब रसूल, अपर सेशन न्यायाधीश, लहार, भिण्ड
14.	भिण्ड	अपर सेशन न्यायाधीश, गोहद	श्री व्ही. एस. राजपूत, अपर सेशन न्यायाधीश, गोहद, भिण्ड
15.	भोपाल	अपर सेशन न्यायाधीश (विशेष न्यायालय क्रमांक-1), भोपाल.	श्री बी. के. पालोदा, अपर सेशन न्यायाधीश (विशेष न्यायालय क्रमांक-1), भोपाल.
17.	बुरहानपुर	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर	श्री संजीव कुमार गुप्ता, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर
21.	छिन्दवाड़ा	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा	श्री संजीव कुमार अग्रवाल, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा.
23.	दमोह	तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, दमोह	श्री दीपक शर्मा, तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, दमोह
27.	देवास	अपर सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ	श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाहा, अपर सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ, देवास.
28-ए	देवास	अपर सेशन न्यायाधीश, खातेगांव	श्री मनोज कुमार तिवारी (सीनियर), अपर सेशन न्यायाधीश, खातेगांव, देवास.

(1)	(2)	(3)	(4)
30.	धार	अपर सेशन न्यायाधीश, कुक्षी	श्रीमती प्रवीणा व्यास, अपर सेशन न्यायाधीश, कुक्षी, धार
33.	डिंडोरी	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, डिंडोरी	श्री हरीश कुमार कौशिक, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, डिंडोरी.
36.	गुना	पंचम अपर सेशन न्यायाधीश, गुना	श्री संजय कुमार गुप्ता (सीनियर) पंचम अपर सेशन न्यायाधीश, गुना.
40.	ग्वालियर	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, डबरा	श्री दीपेश कुमार तिवारी, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, डबरा, ग्वालियर.
41.	हरदा	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, हरदा	श्री रतन कुमार वर्मा, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, हरदा
44-ए	होशंगाबाद	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, इटारसी	श्री राजीव कुमार सिंह, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, इटारसी, होशंगाबाद.
45.	इंदौर	अपर सेशन न्यायाधीश, (विशेष न्यायालय क्रमांक-5), इन्दौर	श्री केशव मणि सिंघल, अपर सेशन न्यायाधीश (विशेष न्यायालय क्रमांक-5), इंदौर.
46.	इंदौर	अपर सेशन न्यायाधीश, (विशेष न्यायालय क्रमांक-6), इन्दौर	श्री प्रकाश चन्द्र आर्य, अपर सेशन न्यायाधीश (विशेष न्यायालय क्रमांक-6), इंदौर.
49.	इंदौर	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, महू	श्री अशोक गुप्ता, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश महू, इंदौर.
50.	जबलपुर	अपर सेशन न्यायाधीश, (विशेष न्यायालय क्रमांक-8), जबलपुर	श्री मुकेश कुमार दांगी, अपर सेशन न्यायाधीश (विशेष न्यायालय क्रमांक-8), जबलपुर.
56.	मंदसौर	षष्ठम अपर सेशन न्यायाधीश, मंदसौर	श्री नरसिंह बघेल, षष्ठम अपर सेशन न्यायाधीश, मंदसौर.
58.	मंदसौर	अपर सेशन न्यायाधीश, गरोठ	श्री संजय कुमार चतुर्वेदी, अपर सेशन न्यायाधीश, गरोठ, मंदसौर
65.	नरसिंहपुर	तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, गाडरवारा	श्री शिवकांत, तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, गाडरवारा, नरसिंहपुर
66.	नीमच	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, नीमच	श्रीमती प्रिया शर्मा, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, नीमच
68.	पन्ना	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण अधिनियम, पन्ना.	श्री शिवबदन वर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण अधिनियम, पन्ना.
74.	राजगढ़	अपर सेशन न्यायाधीश, नरसिंहगढ़	श्री अनिल कुमार अग्रवाल, अपर सेशन न्यायाधीश, नरसिंहगढ़
76.	रतलाम	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, जावरा	श्री राजीव कृष्णपाल, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, जावरा, रतलाम.
77-ए	रीवा	अपर सेशन न्यायाधीश, त्योंथर	श्री सुनील कुमार जैन, अपर सेशन न्यायाधीश, त्योंथर, रीवा
78.	रीवा	चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, रीवा	श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल, चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, रीवा
81.	सागर	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, खुरई	कु. सुमन श्रीवास्तव, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, खुरई, सागर
86.	सीहोर	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, सीहोर	कु. अनिता बाजपेई, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, सीहोर.

(1)	(2)	(3)	(4)
89.	सिवनी	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, सिवनी	श्री अवनीश चन्द्र तिवारी, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, सिवनी
91.	शहडोल	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण अधिनियम, शहडोल.	श्री डी. के. पालीवाल, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण अधिनियम, शहडोल.
104-ए	उज्जैन	नवम् अपर सेशन न्यायाधीश, उज्जैन	श्री आलोक कुमार मिश्रा, नवम् अपर सेशन न्यायाधीश, उज्जैन
107.	विदिशा	चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, विदिशा	श्री अजयकांत पांडे, चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, विदिशा
108.	विदिशा	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, बसौदा	श्री संजीव श्रीवास्तव, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, बसौदा, विदिशा,
111.	मण्डलेश्वर	चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, खरगौन	श्री सुभाष सोलंकी, चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, खरगौन, मण्डलेश्वर."

F. No. 17 (E) 83-03-XXI-B (One)-1566-2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B-(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September, 2010, namely :—

AMENDMENTS

In the said Notification, in the Table, for serial numbers 1, 3, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 27, 28-A, 30, 33, 36, 40, 41, 44-A, 45, 46, 49, 50, 56, 58, 65, 66, 68, 74, 76, 77-A, 78, 81, 86, 89, 91, 104-A, 107, 108 and 111 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	Alirajpur	District & Sessions Judge, Alirajpur.	Ku. Shobha Porwal, District & Sessions Judge, Alirajpur.
3.	Anuppur	1st Additional Sessions Judge, Anuppur	Shri Mahesh Kumar Saini, 1st Additional Sessions Judge, Anuppur.
5.	Ashoknagar	1st Additional Sessions Judge, Mungawali.	Smt. Shashikanta Vaishya, 1st Additional Sessions Judge, Mungawali, Ashoknagar.
9.	Barwani	Additional Sessions Judge, Sendhwa.	Smt. Krishna Paraste, Additional Sessions Judge, Sendhwa, Barwani.
10.	Betul	II nd Additional Sessions Judge, Betul,	Ku. Pratibha Sathwane, II nd Additional Sessions Judge, Betul.
13.	Bhind	Additional Sessions Judge, Lahar.	Shri Galib Rasool, Additional Sessions Judge, Lahar, Bhind.
14.	Bhind	Additional Sessions Judge, Gohad.	Shri V.S. Rajput, Additional Sessions Judge, Gohad, Bhind.

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Bhopal	Additional Sessions Judge, (Special Court No.1), Bhopal.	Shri B.K. Paloda, Additional Sessions Judge, (Special Court No.1), Bhopal.
17.	Burhanpur	Ist Additional Sessions Judge, Burhanpur.	Shri Sanjeev Kumar Gupta, Ist Additional Sessions Judge Burhanpur.
21.	Chhindwara	IInd Additional Sessions Judge, Chhindwara.	Shri Sanjeev Kumar Agrawal, IInd Additional Sessions Judge, Chhindwara.
23.	Damoh	IIIrd Additional Sessions Judge, Damoh.	Shri Deepak Sharma, IIIrd Additional Sessions Judge, Damoh.
27.	Dewas	Additional Sessions Judge, Sonkatach.	Shri Jitendra Singh Kushwaha, Additional Sessions Judge, Sonkatach, Dewas.
28-A	Dewas	Additional Sessions Judge, Khategaon.	Shri Manoj Kumar Tiwari, (Sr.) Additional Sessions Judge, Khategaon, Dewas.
30.	Dhar	Additional Sessions Judge, Kukshi.	Smt. Praveena Vyas, Additional Sessions Judge, Kukshi, Dhar.
33.	Dindori	1st Additional Sessions Judge, Dindori.	Shri Harish Kumar Gupta, (Sr.) 1st Additional Sessions Judge, Dindori.
36.	Guna	Vth Additional Sessions Judge, Guna.	Shri Sanjay Kumar Gupta (Sr.) Vth Additional Sessions Judge, Guna.
40.	Gwalior	IInd Additional Sessions Judge, Dabra.	Shri Deepesh Kumar Tiwari, IInd Additional Sessions Judge, Dabra Gwalior.
41.	Harda	1st Additional Sessions Judge, Harda.	Shri Ratan Kumar Verma, 1st Additional Sessions Judge, Harda.
44-A	Hoshangabad	1st Additional Sessions Judge, Itarsi.	Shri Rajeev Kumar Singh, 1st Additional Sessions Judge, Itarsi. Hoshangabad.
45.	Indore	Additional Sessions Judge, (Special Court, No. 5), Indore.	Shri Keshav Mani Singhal, Additional Sessions Judge,(Special Court, No. 1), Indore.
46.	Indore	Additional Sessions Judge, (Special Court, No. 6),	Shri Prakash Chandra Arya, Additional Sessions Judge,(Special Court, No. 6), Indore.
49.	Indore	IInd Additional Sessions Judge, Mhow.	Shri Ashok Gupta, IInd Additional Sessions Judge, Mhow Indore.
50.	Jabalpur	Additional Sessions Judge, (Special Court, No. 8), Jabalpur.	Shri Mukesh Kumar Dangi, Additional Sessions Judge,(Special Court, No. 8), Jabalpur.

56.	Mandsaur	Vlth Additional Sessions Judge, Mandsaur.	Shri Nar Singh Baghel, Vlth Additional Sessions Judge, Mandsaur.
58.	Mandsaur	Additional Sessions Judge, Garoth.	Shri Sanjay Kumar Chaturvedi, Additional Sessions Judge, Garoth Mandsaur.
65.	Narsinghpur	IIIrd Additional Sessions Judge, Gadawara.	Shri Shivkant, IIIrd Additional Sessions Judge, Gadawara, Narsinghpur.
66.	Neemuch	Ist Additional Sessions Judge, Neemuch.	Smt. Priya Sharma, Ist Additional Sessions Judge, Neemuch.
68.	Panna	Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989, Panna.	Shri Shiv Badan Verma, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Panna.
74.	Rajgarh	Additional Sessions Judge, Narsingharh.	Shri Anil Kumar Agrawal, Additional Sessions Judge, Narsingharh Rajgarh.
76.	Ratlam	Ist Additional Sessions Judge, Jaora.	Shri Rajeev Krishna Pal, Ist Additional Sessions Judge, Jaora Ratlam.
77-A	Rewa	Additional Sessions Judge, Teonthar.	Shri Sunil Kumar Jain, Additional Sessions Judge, Teonthar, Rewa.
78.	Rewa	IVth Additional Sessions Judge, Rewa.	Shri Dinesh Chandra Thapliyal, IVth Additional Sessions Judge, Rewa.
81.	Sagar	Additional Sessions Judge, Khurai.	Ku. Suman Shrivastava, Additional Sessions Judge, Khurai, Sagar.
86.	Sehore	Ist Additional Sessions Judge, Sessions judge, Sehore.	Ku. Anita Bajpai, Ist Additional
89.	Seoni	IInd Additional Sessions Judge, Seoni.	Shri Avinash Chandra Tiwari, IInd Additional Sessions Judge, Seoni.
91.	Shahdol	Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Shahdol.	Shri D. K. Paliwal, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Shahdol.
104-A.	Ujjain	IXth Additional Sessions Judge, Ujjain.	Shri Alok Kumar Mishra, IXth Additional Sessions Judge, Ujjain.
107.	Vidisha	IVth Additional Sessions Judge, Vidisha.	Shri Ajay Kant Pandey, IVth Additional Sessions Judge, Vidisha.
108.	Basoda, Vidisha	IInd Additional Sessions Judge, Basoda.	Shri Sanjeev Shrivastava, IInd Additional Sessions Judge, Basoda, Vidisha
111.	Mandleshwar	IVth Additional Sessions Judge, Khargone.	Shri Subhash Solanki, IVth Additional Sessions Judge, Khargone, Mandleshwar.”

भोपाल, दिनांक 8 जून 2017

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक)-2468.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2015 की चयन सूची दिनांक 16 अगस्त 2016 में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री अभय सिंह पिता श्री जे. एस. ठाकुर (मेरिट क्र. 89) की ओर से प्रेषित प्रस्ताव पर, विचारोपरांत स्वीकार करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अभय सिंह पिता जे. एस. ठाकुर का नाम चयनित सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 89 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करते हुए नियुक्ति आदेश क्रमांक 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 27 मार्च 2017 निरस्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2017

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक)-शुद्धि-पत्र.—श्री जितेन्द्र सिंह परमार पुत्र श्री राजाराम परमार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्ति संबंधी इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जनवरी 2017 की प्रथम पंक्ति में अंकित मेरिट क्र. "43" के स्थान पर "42" पढ़ा जाए.

भोपाल, दिनांक 3 जून 2017

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)-2288-2017.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब(एक)-1488-2016, दिनांक 12 मई 2017, अधिसूचना फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)-2868-2016, दिनांक 30 अगस्त 2016 तथा अधिसूचना फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)-2995-2015, दिनांक 16 नवम्बर 2015 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीशों को उसके कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुख्यालय के लिए उसके कालम (4) में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 उपधारा (1) खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में तथा दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का सं. 25) के अधीन अन्वेषण किये गये अन्य समस्त अन्य अपराधों के संबंध में, मामलों के विचारण के लिए, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम	मुख्यालय	विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती माया विश्वलाल, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, सागर, दमोह, सिवनी, छिन्दवाड़ा, रीवा, सतना, पन्ना, सीधी, बालाघाट, शहडोल, कटनी, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर एवं सिंगरौली.
2	श्री पंकज सिंह माहेश्वरी, षष्ठम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर.	इन्दौर	इन्दौर, धार, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, मण्डलेश्वर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, खण्डवा, नीमच, बड़वानी, अलीराजपुर एवं बुरहानपुर.

F. No. 1-5-96-XXI-B(One)-2288-2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and quashing this department's Notification F. No.1-1-88-XXI-B(One)-1488-2017, dated 12th May 2017 and in supersession of this department's Notification F. No.1-5-96-XXI-B(One)-2868-2016, dated 30th August 2016 and notification F. No.1-5-96-XXI-B(One)-2995-2015, dated 16th November 2015 the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints the Additional Sessions Judges specified in Column (2) of the Table below to be the Special Judge with the head quarter specified in the corresponding entry in column (3) thereof for the areas comprising in column (4) thereof to try the cases relating to the offences specified in clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 3 of the said Act and all other offences investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Judge	Head Quarter	Jurisdiction of special court
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Smt. Maya Vishwalal, IVth Additional Sessions Judge, Jabalpur.	Jabalpur	Jabalpur, Narsinghpur, Mandla, Sagar, Damoh, Seoni, Chhindwara, Rewa, Satna, Panna, Sidhi, Balaghat, Shehdol, Katni, Dindori, Umaria, Anuppur and Singrauli.
2	Shri Pankaj Singh Maheshwari, VIth Additional Sessions Judge, Indore.	Indore	Indore, Dhar, Ratlam, Jhabua, Mandsaur, Mandleshwar, Ujjain, Dewas, Shajapur, Khandwa, Neemuch, Badwani, Alirajpur and Burhanpur.

फा. क्र. 17(ई)43-2009-2060-इक्कीस-ब(एक)-17-शुद्धिपत्र.—राज्य शासन द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 10 मई 2013 में, संशोधन हेतु जारी अधिसूचना फा. क्र. 17(ई)2009-1331-इक्कीस-ब(एक)-17, दिनांक 12 अप्रैल 2017 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 5 मई 2017 को प्रकाशित हुई थी, की प्रविष्टियों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,—

1. हिन्दी पाठ में,—

- (1) प्रविष्टि क्रमांक 12 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द “प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1” के स्थान पर, शब्द “द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1” पढ़े जाएं.
- (2) प्रविष्टि क्रमांक 30 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द “व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1” के स्थान पर, शब्द “द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1” पढ़े जाएं.
- (3) प्रविष्टि क्रमांक 47 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द “व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1” के स्थान पर, शब्द “प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2” पढ़े जाएं.
- (4) प्रविष्टि क्रमांक 60 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द “द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1” के स्थान पर, शब्द “चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1” पढ़े जाएं.
- (5) प्रविष्टि क्रमांक 61 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द “श्री आतिश टांकले” के स्थान पर, शब्द “श्री आशीष टांकले” पढ़े जाएं.

- (6) प्रविष्टि क्रमांक 62 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द "श्री नरेश यादव" के स्थान पर, शब्द "श्री नीलेश यादव" पढ़े जाएं.
- (7) प्रविष्टि क्रमांक 66 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द "व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1" के स्थान पर, शब्द "व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश" पढ़े जाएं.

2. अंग्रेजी पाठ में:—

- (1) प्रविष्टि क्रमांक 12 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द "Ist Civil Judge Class-I" के स्थान पर, शब्द "IInd Civil Judge Class-I" पढ़ा जाए.
- (2) प्रविष्टि क्रमांक 30 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द "Civil Judge Class-I" के स्थान पर, शब्द "IInd Civil Judge Class-I" पढ़े जाए.
- (3) प्रविष्टि क्रमांक 47 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द "Civil Judge Class-I" के स्थान पर, शब्द "Ist Civil Judge Class-II" पढ़ा जाए.
- (4) प्रविष्टि क्रमांक 49 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द "IInd Civil Judge Class-I" के स्थान पर, शब्द "IInd Civil Judge Class-II" पढ़ा जाए.
- (5) प्रविष्टि क्रमांक 60 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द "IInd Civil Judge Class-I" के स्थान पर, शब्द "IV Civil Judge Class-I" पढ़ा जाए.
- (6) प्रविष्टि क्रमांक 66 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द "Civil Judge Class-I" के स्थान पर, शब्द "Additional Judge to Civil Judge Class-I" पढ़ा जाए.
- (7) प्रविष्टि क्रमांक 70 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द "Ist Civil Judge Class-I" के स्थान पर, शब्द "Ist Civil Judge Class-II" पढ़ा जाएं.
- (8) प्रविष्टि क्रमांक 72 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द "Ist Civil Judge Class-I" के स्थान पर, शब्द "IIIrd Civil Judge Class-II" पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के वाणी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जून 2017

फा. क्र. 1 अ-1-15-इक्कीस-ब(दो)2501.—राज्य शासन, एतद्वारा महाधिवक्ता के परामर्श से उच्च न्यायालय में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए अधोलिखित विधि अधिकारियों, जिन्हें इस विभाग के समसंख्यक आदेश के द्वारा उनके नाम के समक्ष दर्शाये पद पर और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 (1) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के परामर्श से लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है, के दिनांक 6 जून 2017 को समाप्त होने वाले वर्तमान कार्यकाल में आगे एक

माह (दिनांक 5 जुलाई 2017 तक) की अवधि के लिये, उनकी ऐसी नियुक्ति की पूर्ववर्ती शर्तों के अध्यधीन, वृद्धि करता है:—

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर अतिरिक्त महाधिवक्ता

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री पुरुषेन्द्र कौरव	अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर
2	श्री करमजीत सिंह वाधवा	अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर

उप महाधिवक्ता पद हेतु

क्रमांक (1)	अधिवक्ता का नाम (2)	पद (3)
1	श्री संजय द्विवेदी	उप महाधिवक्ता
2	श्री समदर्शा तिवारी	उप महाधिवक्ता

(1) (2) (3)

2	सुश्री सुरभि निगम	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.
3	श्रीमती जाहानवी पंडित	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.

विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता

क्रमांक (1)	अधिवक्ता का नाम (2)	पद (3)
1	श्री दिवेश जैन	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता
2	श्री पुष्पेन्द्र यादव	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
3	श्री गिरीश कैकरे	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
4	श्री स्वपनिल गांगुली	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
5	श्रीमती शाहिन फातिमा	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
6	श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
7	श्री दीपक अवस्थी	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
8	श्री ब्रम्हदत्त सिंह	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
9	श्री व्यंकटेश प्रसाद पाण्डेय	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
10	श्रीमती दिव्य कीर्ति बोहरे	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
11	श्री अमित सेठ	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
12	श्री अजय प्रताप सिंह	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
13	श्री अखिलेन्द्र सिंह	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
14	श्री पियूष धर्माधिकारी	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
15	श्री आशीष आनन्द बर्नाड	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
16	श्री अजय शुक्ला	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
17	श्री प्रदीप सिंह	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.

उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता

क्रमांक (1)	अधिवक्ता का नाम (2)	पद (3)
1	श्री सिद्धार्थ सिंह चौहान	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2017

शुद्धि-पत्र

इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2504-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 6 जून 2017 के अंग्रेजी में उल्लेखित चतुर्थ लाईन में शब्द "Gerenal" को "General" पढ़ा जावें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामकुमार चौबे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जून 2017

फा. क्र. 2504-इक्कीस-ब(दो).—श्री रवीशचन्द्र अग्रवाल, अधिवक्ता को आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 2014 द्वारा मध्यप्रदेश के महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया था. उन्होंने उक्त पद से अपना त्याग-पत्र दिनांक 3 जून 2017 को प्रस्तुत कर दिया है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा यह त्याग-पत्र दिनांक 5 जून 2017 से स्वीकार किया जाता है.

F. No. 2504-XXI-B (II).—Shri Ravish Chandra Agarwal, Advocate was appointed as Advocate General for Madhya Pradesh by order dated 8th December 2014. He has submitted his resignation dated 3rd June 2017 from the office of the Advocate General. The Governor of Madhya Pradesh is hereby pleased to accept the said resignation with effect from 5th June 2017.

फा. क्र. 2504-इक्कीस-ब(दो).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, श्री पुरुषेन्द्र कौरव, वरिष्ठ अधिवक्ता को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की दिनांक से महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश के पद पर नियुक्त करते हैं.

F. No. 2504-XXI-B (II).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 165 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to appoint Shri Purushendra Kaurav, Senior Advocate to be Advocate General for Madhya Pradesh with effect from the date he assumes charge of his duties.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मई 2017

क्र. 934-2017-ए-ग्यारह.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1930 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, विन्ध्यनगर, जिला सिंगरौली (म. प्र.) का वाष्पयंत्र क्रमांक एम. पी./3830 के स्टिमिंग लायसेंस के प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि में दिनांक 18 मई 2017 से 17 नवम्बर 2017 तक 06 माह की वृद्धि बढ़ाये जाने को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से निम्नानुसार छूट प्रदान करता है:—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत-कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शालिनी सिन्हा, अवर सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2017

क्र. एफ-11-07-2017-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजीकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12, सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	बालाघाट	बालाघाट	ग्राम धनसुआ	प्राचीन गोसाई मंदिर (शिवमंदिर)	142/1/ज 142/2ड	0.024 हेक्ट.	अशासकीय	हां

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जून 2017

क्र. एफ 1 ए-06-2016-ए-सोलह.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 की उपधारा के साथ पठित मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को उसके (सारणी के) कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है :—

सारणी

क्रमांक	न्यायिक अधिकारी का नाम	श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी
(1)	(2)	(3)
1	डॉ. कु. मेहजबीन खान	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, क्र. 1, भोपाल
2	श्री नीलेश यादव	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सतना
3	श्री आशीष प्रताप सिंह	अति. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इन्दौर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मिलिन्द गणवीर, अवर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश

हरदा, दिनांक 3 फरवरी 2017

क्र. 945-स्थापना-2017.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित प्रावधान अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक चार के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, जिला-हरदा में वर्ष 2017 के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किये गये हैं:—

क्रमांक	दिनांक	दिन	त्यौहार का नाम जिसके लिये स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	17-3-2017	शुक्रवार	रंगपंचमी
2	8-8-2017	मंगलवार	भुजरिया (कजलिया)
3	20-10-2017	शुक्रवार	अन्नकूट (दीपावली का दूसरा दिन)

2. यह अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा.

संजय उपाध्याय, डिप्टी कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख), जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्र. 18-भू-अभि.-बं.श्रम-2017-150.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1326, शहडोल, दिनांक 13 नवम्बर 2014 को जिले में बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अन्तर्गत जिलास्तरीय एवं उपखण्डस्तरीय सतर्कता समितियों का पुनर्गठन दो वर्ष के लिए किया गया था जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है. समितियों का कार्यकाल समाप्त होने के फलस्वरूप पुनः आगामी 02 वर्ष के लिये जिला स्तरीय एवं उपखण्ड सतर्कता समितियों का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:—

जिलास्तरीय समिति

अध्यक्ष	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला शहडोल (म. प्र.)
शासकीय सदस्य	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शहडोल (म. प्र.) 2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, शहडोल (म. प्र.) 3. प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख, शहडोल (म. प्र.) 4. महाप्रबंधक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, शहडोल (म. प्र.)
अशासकीय सदस्य	1. श्री देवीदीन अहिरवार, ग्राम पो. उमरिया, वि.ख. गोहपारू, जिला शहडोल (म. प्र.) 2. श्री गोविन्द सिंह, ग्राम धनगवां, वि. ख. बुढ़ार, जिला शहडोल (म. प्र.) 3. श्री मनीलाल सिंह परस्ते, ग्राम सारंगढ़, तह. ब्यौहारी, जिला शहडोल (म. प्र.) 4. श्री के. पी. सिंह, ग्राम बाणसागर, जिला शहडोल (म. प्र.) 5. श्री अनूप त्रिपाठी, ग्राम चिटुहला, वि. ख. सोहागपुर, जिला शहडोल (म. प्र.)

उपखण्डस्तरीय समिति, उपखण्ड-ब्यौहारी

अध्यक्ष	अनुविभागीय अधिकारी ब्यौहारी, जिला शहडोल (म. प्र.)
शासकीय सदस्य	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, ब्यौहारी, जिला शहडोल (म. प्र.) 2. तहसीलदार, तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल (म. प्र.) 3. शाखा प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक ब्यौहारी, जिला शहडोल (म. प्र.) 4. शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक चर्चाई, तह. ब्यौहारी, जिला शहडोल (म. प्र.) 5. शाखा प्रबंधक, जिला सह. कृषि ग्रामीण बैंक ब्यौहारी, जिला शहडोल (म. प्र.)
अशासकीय सदस्य	1. श्री राजेश सिंह, ग्राम सूखा, पो. तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल (म. प्र.) 2. श्री हनुमानदीन वर्मा, ग्राम मुदरिया, पो. ब्यौहारी, जिला शहडोल (म. प्र.) 3. श्री शत्रुघ्न पटेल, निवासी ब्यौहारी, पो. ब्यौहारी, जिला शहडोल (म. प्र.)

4. श्री कमलभान सिंह गोंड, ग्राम गाड़ा, पो. भन्नी, तह. ब्यौहारी जिला शहडोल (म. प्र.)
5. श्रीमती गीता कोल, निवासी ब्यौहारी पो. ब्यौहारी, जिला शहडोल (म. प्र.)

उपखण्डस्तरीय समिति, उपखण्ड-जयसिंहनगर

अध्यक्ष

अनुविभागीय अधिकारी, जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म. प्र.)

शासकीय सदस्य

1. तहसीलदार तह. जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म. प्र.)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जन. पंचा. जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म. प्र.)
3. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म. प्र.)
4. शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टिहकी तह., जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म. प्र.)
5. थाना प्रभारी, थाना जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म. प्र.)

अशासकीय सदस्य

1. श्री मईकू बैगा, ग्राम पो. जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म. प्र.)
2. श्री सरजू सिंह गोंड, ग्राम अन्तौली, तह. जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म. प्र.)
3. श्री शिवप्रसाद चर्मकार, ग्राम सरवारी, तह. जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म. प्र.)
4. श्री कृष्णा तिवारी, ग्राम कुबरा, तह. जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म. प्र.)
5. श्री रामाधीन शुक्ला, ग्राम करकी, तह. जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म. प्र.)
6. श्री दिनकर तिवारी, ग्राम कुबरा, तह. जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म. प्र.)

उपखण्डस्तरीय समिति, उपखण्ड-सोहागपुर

अध्यक्ष

अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर, जिला शहडोल (म. प्र.)

शासकीय सदस्य

1. तहसीलदार, तह. सोहागपुर, जिला शहडोल (म. प्र.)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जन. पंचा. सोहागपुर/गोहपारू, जिला शहडोल (म. प्र.)
3. प्रो. अनिल उपाध्याय, प्राध्यापक, शासकीय नेहरू महाविद्यालय, बुढ़ार
4. शाखा प्रबंधक, भूमि विकास बैंक, शाखा शहडोल (म. प्र.)

अशासकीय सदस्य

1. श्री मुन्नी चौधरी, नि. ग्राम धनपुरी, तह. बुढ़ार जिला शहडोल (म. प्र.)
2. श्री चरकू बैगा, निवासी जमुई, तह. सोहागपुर, जि. शहडोल (म. प्र.)
3. श्री रामप्रकाश ग्राम बरमनिया, तह. गोहपारू, जिला शहडोल (म. प्र.)
4. श्री विवेक पाण्डेय (सामाजिक कार्यकर्ता), निवासी शहडोल (म. प्र.)
5. श्री दुर्गा तिवारी, निवासी खन्नीधी तह. गोहपारू, जिला शहडोल (म. प्र.)

उपखण्डस्तरीय समिति, उपखण्ड-जैतपुर

अध्यक्ष

अनुविभागीय अधिकारी, जैतपुर, जिला शहडोल (म. प्र.)

शासकीय सदस्य

1. तहसीलदार, तह. जैतपुर, जिला शहडोल (म. प्र.)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जन. पंचा. बुढ़ार, जिला शहडोल (म. प्र.)
3. परियोजना अधिकारी, एकीकृत महिला बाल विकास बुढ़ार, जिला शहडोल (म. प्र.)
4. थाना प्रभारी, थाना जैतपुर, जिला शहडोल (म. प्र.)

अशासकीय सदस्य

1. श्रीमती प्रेमबाई ग्राम बरिगवां तह. जैतपुर, जिला शहडोल (म. प्र.)
2. श्री भारत लाल चौधरी, तह. जैतपुर, जिला शहडोल (म. प्र.)
3. श्री नेक मोहम्मद, निवासी झींक बिजुरी, तह. जैतपुर जिला शहडोल (म. प्र.)
4. श्री महेन्द्र प्रताप सिंह (सामाजिक कार्यकर्ता), निवासी जैतपुर, जिला शहडोल (म. प्र.)

मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 13 अप्रैल 2017

क्र. 3525-व.लि.-1-2017.—सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र 02 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2-1999-1, भोपाल दिनांक 30 मार्च 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आशीष सक्सेना, कलेक्टर, जिला-झाबुआ, वर्ष 2017 के लिये संपूर्ण जिला झाबुआ की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नांकित तिथियों को निम्नानुसार तीन स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्रमांक (1)	जिला (2)	पर्व अथवा त्यौहार (3)	दिनांक (4)	दिन (5)	संपूर्ण विवरण (6)
1	झाबुआ संपूर्ण जिला	वर्ल्ड इन्डीजिनियस डे (World Indigenous day)	9-8-2017	बुधवार	संपूर्ण जिला
2	—''—	नवरात्र प्रारम्भ (घट स्थापना)	21-9-2017	गुरुवार	—''—
3	—''—	दिपावली का दूसरा दिन (पडवा)	20-10-2017	शुक्रवार	—''—

टीप :

- (1) यह स्थानीय अवकाश कोषालय/उप कोषालय तथा बैंकों के लिये प्रभावशील नहीं रहेगा.
- (2) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनांकों में परीक्षाएँ नियत हैं. इन पर भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा. परीक्षाएँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत् रहेगी.

आशीष सक्सेना, कलेक्टर

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 27 मई 2017

प्ररूप-ख

[मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012
नियम 5 का उपनियम (2) देखिये]

क्र. 7-अ-82-16-17.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु आँकरेश्वर जलाशय, ग्राम गुंजारी, तहसील मांथाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	दाभड़/19	77	0.210
				कुल . . . 0.210

मधुवंतराव धुर्वे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, भू-अभिलेख, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 28 मार्च 2017

क्र. 1676-भू.अ.-रा.नि.-2017.—द्वारा मैं, संकेत भोंडवे, कलेक्टर, उज्जैन, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार उज्जैन जिले की तहसील घट्टिया, नागदा, बड़नगर, महिदपुर व तराना में राजस्व निरीक्षक मण्डलों का निम्नानुसार पुनर्गठन करता हूँ:—

तहसील का नाम	राजस्व निरीक्षक वृत्त का नाम	रा.नि.वृत्त में शामिल हल्के	शामिल ग्रामों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
घट्टिया	1. पानबिहार	हल्का नम्बर 1 से 18 (कुल 18)	39
	2. भेरूगढ़	हल्का नम्बर 19 से 36 (कुल 18)	34
	3. घट्टिया	हल्का नम्बर 37 से 54 (कुल 18)	29
	4. बिछड़ौद खालसा.	हल्का नम्बर 55 से 72 (कुल 18)	34
नागदा	1. नागदा	हल्का नम्बर 01 से 07, 09 से 16 व 23, 24 (कुल 17)	29
	2. रूपेटा	हल्का नम्बर 08, 20 से 22, 25 से 34, 41 व 43 (कुल 16)	32
	3. हताई	हल्का नम्बर 17 से 19, 44, 46 से 50 व 54 से 60 (कुल 16)	25
	4. उन्हेल	हल्का नम्बर 35 से 40, 42, 45, 51 से 53 व 61 से 66 (कुल 17)	28
बड़नगर	1. रूणिजा	हल्का नम्बर 1, 12 से 21 व 29 से 34 कुल (17)	28
	2. खरसौदकलां	हल्का नम्बर 2 से 11, 22 से 28 व 35 कुल (18)	34
	3. जहांगीरपुर	हल्का नम्बर 36 से 40 व 51 से 64 कुल (19)	37
	4. इंगोरिया	हल्का नम्बर 41 से 50 व 65 से 73 कुल (19)	30
	5. बड़नगर	हल्का नम्बर 74 से 90 व 108 कुल (18)	33
	6. लोहाना	हल्का नम्बर 91 से 107 कुल (17)	31
महिदपुर	1. गोगापुर (महिदपुर रोड)	हल्का नम्बर 01 से 22 कुल (22)	36
	2. रणयरापीर	हल्का नम्बर 23 से 30, 41, 42 व 47 से 54 कुल (18)	35
	3. झाड़ा	हल्का नम्बर 31 से 40, 43 से 46 व 55 से 58 कुल (18)	29

(1)	(2)	(3)	(4)
	4. महिदपुर	हल्का नम्बर 65, 67 से 81 व 85 से 88 कुल (20)	45
	5. खेड़ाखजूरिया	हल्का नम्बर 64, 66, 82 से 84, 89 से 93, 99 से 105 व 116 से 119 कुल (21).	43
	6. घोंसला	हल्का नम्बर 59 से 63, 94 से 98, 106 से 115 व 120, 121 कुल (22)	39
तराना	1. रूपाखेड़ी	हल्का नम्बर 01 से 06, 14 से 23, 38 से 43 व 52 से 54 कुल (25)	46
	2. माकड़ौन	हल्का नम्बर 7 से 13, 24 से 37 व 44 से 48 कुल (26)	56
	3. तराना	हल्का नम्बर 49 से 51, 55 से 59, 66 से 73, 81, 82, व 86 से 88 कुल (21).	36
	4. नैनावद	हल्का नम्बर 60 से 65, 74 से 80, 89 से 92 व 94 कुल (18)	37
	5. कायथा	हल्का नम्बर 83 से 85, 93, 95 से 111 कुल (21)	41

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

संकेत भोंडवे, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

रायसेन, दिनांक 6 जून 2017

क्र. 5859.—मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2(क)-09-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जिले के भीतर नवनिर्मित थाना/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर्स को अधिसूचना जारी करने के लिये पदेन उपसचिव भी घोषित किया गया है.

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक एफ-2(क) 10-15-बी-3-दो, दिनांक 23 नवम्बर 2016 मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2 द्वारा पुलिस चौकी "चौकी देहात" की स्थापना के लिये पदों का सृजन किये जाने से नवीन पुलिस चौकी की स्थापना की जाना है.

अतएव, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (एस) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना की तारीख से:—

- (एक) नीचे दी गई सारणी में कॉलम (2) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती है और
- (दो) "चौकी देहात" जो जिला रायसेन के कोतवाली, रायसेन एवं तहसील रायसेन अन्तर्गत है को "पुलिस चौकी" घोषित करती है एवं सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उक्त पुलिस चौकी में सम्मिलित करती है:—

सारणी

क्र.	उस पुलिस थाने का नाम, तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम
(1)	(2)	(3)
1	कोतवाली, रायसेन तहसील व जिला रायसेन	सदालपुर
2	— " —	सेण्डोरा
3	— " —	धनौरा
4	— " —	फुलसरी

(1)	(2)	(3)
5	—''—	व्यावरा
6	—''—	रायपुर रमासिया
7	—''—	बीदपुर
8	—''—	कुशयारी
9	—''—	माना
10	—''—	बिलेटा
11	—''—	नीमखेड़ा
12	—''—	बरबटपुर
13	—''—	सेवासनी
14	—''—	अगरिया
15	—''—	रंगपुरा केशरी
16	—''—	उर्देन
17	—''—	नयापुरा
18	—''—	नांद
19	—''—	केवटी, सिरसी
20	—''—	सिलपुरी
21	—''—	सिहोरा इमलिया
22	—''—	हिरणखेड़ा
23	—''—	रंगपुरा इमलिया
24	—''—	अल्ली
25	—''—	करमोदिया
26	—''—	जलालपुर
27	—''—	पेनगवां
28	—''—	करैया
29	—''—	डुमावली
30	—''—	रातातलाई
31	—''—	सोडरा
32	—''—	बरनी जागीर
33	—''—	करपाट
34	—''—	सिंहपुर
35	—''—	नयापुरा
36	—''—	गोदरा
37	—''—	चांदपुर
38	—''—	दुर्गपुर
39	—''—	मानपुर
40	—''—	पेमद
41	—''—	बगरोदा
42	—''—	बिरहोली
43	—''—	सुनेहरा
44	—''—	परसौरा
45	—''—	महुजागीर
46	—''—	मुछैल
47	—''—	बरूखार अमोदा
48	—''—	मेहरमांगा
49	—''—	बनछोड़
50	—''—	बनगवां
51	—''—	वीरपुर

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 13 जून 2017

क्र. एफ-1-1-17-रा.स.-यू.ए.1-727.—अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्र. 34 सन् 2011) की धारा 29 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :-

- | | | |
|---|------------------|--|
| 1. प्रो. एन. सी. गौतम,
कुलपति,
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय,
चित्रकूट (म. प्र.). | समिति के अध्यक्ष | कुलाधिपतिजी द्वारा नामनिर्दिष्ट |
| 2. प्रो. टी. व्ही. कट्टीमनी,
कुलपति,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय,
अमरकंटक (म. प्र.). | समिति के सदस्य | अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान
आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट. |
| 3. डॉ. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री,
कुलपति,
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
धर्मशाला (हि. प्र.). | समिति के सदस्य | कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट |
| 3. प्रो. गोविन्द मिश्र,
(पूर्व कुलपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा
विज्ञान विश्वविद्यालय), जबलपुर (म. प्र.). | समिति के सदस्य | राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट |

(2) कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. एन. सी. गौतम, कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

(3) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल के आदेशानुसार,

एम. मोहन राव, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 13 जून 2017

क्र. एफ-49-1-रास.-यू.ए.5-2016.—इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 985-रास-यू.-ए-5-2014, दिनांक 18 सितम्बर 2014 के अनुक्रम में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपतिजी द्वारा धारा 27(2)(दस) के तहत डॉ. एन. एस. राठौर, उप महानिदेशक (कृषि शिक्षा विभाग), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि अनुसंधान भवन 2 पूसा, नई दिल्ली को विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का नामनिर्दिष्ट सदस्य मनोनीत किया जाता है.

शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

शिवपुरी, दिनांक 10 अप्रैल 2017

क्र. आरडीएम-2017-376.—मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-2(क)-09-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जिले के भीतर नवनिर्मित थाना/चौकी को सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर को अधिसूचना जारी करने के लिये पदेन उपसचिव भी घोषित किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-2(क) 10-2015-बी-3-दो, भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2016 द्वारा फिजीकल चौकी शिवपुरी का उन्नयन कर थाना फिजीकल की स्थापना के लिये पदों का सृजन किये जाने से नवीन पुलिस थाना की स्थापना की जाना है।

अतएव, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (एस) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से :—

- (एक) नीचे दी गई सारणी में कॉलम (2) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करता हूँ:—
- (दो) पुलिस चौकी "फिजीकल" जो जिला शिवपुरी के थाना कोतवाली, शिवपुरी एवं तहसील शिवपुरी अन्तर्गत है को "पुलिस थाना फिजीकल" घोषित करता हूँ एवं सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उक्त पुलिस थाना में सम्मिलित करता हूँ:—

सारणी

क्र.	उस पुलिस थाने का नाम, तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम
(1)	(2)	(3)
1	थाना कोतवाली शिवपुरी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश.	<ol style="list-style-type: none"> 1. करोंदी कॉलोनी 2. प्रदर्शनी कॉलोनी 3. शिवा शक्ति नगर कॉलोनी 4. शांतिनगर कॉलोनी 5. वन विहार कॉलोनी 6. संजय कॉलोनी 7. फिजीकल रोड 8. फक्कड कॉलोनी 9. छत्री कॉलोनी 10. खिन्नी नाका 11. साईंस कॉलेज रोड 12. भदेया कुण्डी 13. सोन चिरैया रोड 14. बाण गंगा रोड 15. दर्पण कॉलोनी 16. आर. के. पुरम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी 17. टी. व्ही. टावर कॉलोनी 18. कमलागंज 19. सईसपुरा 20. बाबू क्वार्टर

(1)	(2)	(3)
		21. सुभाष कॉलोनी
		22. हाउसिंग बोर्ड झीगुरा
		23. शंकरपुर डांडा
		24. चीलौद
		25. मंगल मसाला गली
		26. मीट मार्केट
		27. मोती बाबा रोड
		28. घोसीपुरा
		29. सिद्धेश्वर कॉलोनी
		30. सर्वोदय नगर
		31. नरेन्द्र नगर
		32. मोहनी सागर कॉलोनी
		33. दो बत्ती रोड
		34. विष्णु मंदिर कॉलोनी एवं रोड
		35. इन्द्रा कॉलोनी
		36. श्री विहार कॉलोनी
		37. पटेल नगर
		38. अशोक विहार
		39. चित्रा नगर
		40. शिवा नगर
		41. हुसैन टेकरी
		42. गणेश कॉलोनी
		43. विवेकानंद पुरम
		44. फिजीकल कॉलेज

No. RDM-2017.—Under the order No. F-2-(A)-08B-3-Two dated 30th July 2010 of Home Ministry, MP Govt. Bhopal. The Collectors have been declared Ex-officio Deputy Secretary of authorized delegated District level committee to notify to demarcate the border of newly setup/established police stations/outpost within the district.

Under the memo No. F-2(A)-10/2015B-3two, Bhopal, dated 23-11-2016 Physical Outpost Shivpuri has been elevated to Police Station Physical Shivpuri. The setup of post for the newly setup Police Station is to be established.

The exercise of the powers conferred by clause (S) of Section 2 of Indian Cr. P.C. 1973 (No.-2, Session 1974) and mentioned in the following Table previous notification with the partial modification specifies the concerned Police Stations including local areas. State Govt. Hereby, this notification from the date of publication in MP Gazette:—

1. The mentioned police station in Colum (2) of the Table given below, in the Colum (3) of the Table specified areas are excluded.
2. Police outpost physical that is in police station of District and tehsil Shivpuri is declared police station physical and in the Colum (3) of the table specified local areas are included in the aforesaid Police Station:—

TABLE

No.	Name of the police station tehsil and district from which was excluded	Name of the local areas
(1)	(2)	(3)
1	P. S. Kotwali, Shivpuri, Tehsil Shivpuri, District Shivpuri, MP.	1. Karondi Colony 2. Priydarshani Colony

(1)

(2)

(3)

3. Shiva Shakti Nagar Colony
4. Shanti Nagar Colony
5. Van Vihar Colony
6. Sanjay Colony
7. Physical Road
8. Fakkad Colony
9. Chhatri Colony
10. Khinni Naka
11. Science College Road
12. BadhaiyaKundi
13. Son Chiraiya Road
14. Ban Ganga road
15. Darpan Colony
16. R.K.Puram Housing Board Colony
17. TV Tower Colony
18. Kamlaganj
19. Saispura
20. Babu Quarter
21. Subhash Colony
22. Housing Board Jhigura
23. ShankarpurDanda
24. Chilod
25. Mangal Masala Gali
26. Meat market
27. Moti Baba Road
28. Ghoshipura
29. Siddheshwar Colony
30. Sarvoday Nagar
31. Narendra Nagar
32. Mohini Sagar Colony
33. Do Batti Road
34. Vishnu Mandir Colony and Road
35. Indra Colony
36. Shri Vihar Colony
37. Patel Nagar
38. Asok Vihar
39. Chitra Nagar
40. Shiva Nagar
41. Hussain Tekri
42. Ganesh Colony
43. Vivekanandpuram
44. Physical College

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2017

क्रमांक/एफ 15-14/2017/10-2 :: भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के उप नियम-03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमायें
1.	पश्चिम मण्डला सामान्य	बम्हनी (सामान्य)	रतनाही पहाड़	आरक्षित वन-786	5.00	पूर्व- कक्ष क्र. 786 पश्चिम- कक्ष क्र. 786 उत्तर- कक्ष क्र. 786 की सीमा रेखा दक्षिण- कक्ष क्र. 786
2.			बोकुर दहार	आरक्षित वन-375	5.00	पूर्व- बंजर नदी एवं कान्हा बफर जोन वनमण्डल की सीमा पश्चिम- कक्ष क्र. 375 उत्तर- कक्ष क्र. 375 एवं बंजर नदी दक्षिण- कक्ष क्र. 375 एवं बंजर नदी
3.			मिदली घुघरा	आरक्षित वन-376	10.00	पूर्व- बंजर नदी एवं कान्हा बफर जोन वनमण्डल की सीमा पश्चिम- कक्ष क्र. 376 उत्तर- कक्ष क्र. 376 बंजर नदी दक्षिण- कक्ष क्र. 376 बंजर नदी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2017

क्रमांक/एफ 15-14/2017/10-2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-14/2017/10-2 दिनांक 07/06/2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 7th June 2017

No./F 15-14/2017/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-rule 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Ha.)	Boundaries
1.	West Mandla (T)	Bamhani (T)	Ratnahi Pahad	RF-786	5.00	East- Compartment no.786 West- Compartment no.786 North- Boundary line of Compartment no. 786 South- Compartment no.786
2.			Bokur dahar	RF-375	5.00	East- Banjar River and Boundary of Kanha buffer zone Division West- Compartment no.375 North- Compartment no.375 & Banjar River. South- Compartment no.375 & Banjar River.
3.			Gidli Ghugra	RF-376	10.00	East- Banjar River and Boundary of Kanha buffer zone Division West- Compartment no.376 North- Compartment no.376 & Banjar River. South- Compartment no.376 & Banjar River.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2017

क्रमांक/एफ 15-15/2017/10-2 :: भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ)द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के उप नियम-04 (1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र घोषित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमायें
1.	बफरजोन कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला	सिझौरा	मांझीपुर, सरही, कटंगी बीट	14ए.बी., 7, 5, 6, 11, 9, 2, 3, 4, 8, 28, 12, 13	3032.71	पूर्व- राजस्व ग्राम जोगीसोड़ा, चंदिया, खलोंडी। पश्चिम-राजस्व ग्राम शाहपुर। उत्तर- मांझीपुर, सरही, टकटौआ, कटंगी, बांधाटोला, मौला, मौलासानी ग्राम। दक्षिण- कान्हा टाइगर रिजर्व, कोर की सीमा, सुरपन नदी।
2.		खापा	बैहर एवं उमरदोनी	242, 243, 244, 241, 240, 245, 246, 238, 239	1763.00	पूर्व- बम्हनी, मोहगांव राजस्व ग्राम की सीमा। पश्चिम-तन्नौर नदी। उत्तर- उमरदोनी, मवाला, रजमा, परसाटोला ग्राम की सीमा। दक्षिण- राज्यमार्ग क्रमांक 26 एवं उत्तर बालाघाट वनमण्डल सीमा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2017

क्रमांक/एफ 15-15/2017/10-2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-15/2017/10-2 दिनांक 07/06/2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 7th June 2017

No./F 15-15/2017/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-rule 4 (1) of the said rules, the state government declares the area mentioned in the following schedule as **Wildlife Experience Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

S. no.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hact.)	Boundaries
1.	Buffer zone Kanha Tiger Reserve, Mandla	Sijhora	Manjhipur, Sarahi, Katangi Beat	RF- 14AB,7,5,6,11,9, 2,3,4,8,28,12,13	3032.71	East- Revenue village Jogisoda, Chandiya, Khalondi. West- Revenue village Shahpura. North- Manjhipur, Sarhi, Taktava, Katangi, Bandhatola, Maula, Maulasani village. South- Boundary of core area of Kanha Tiger Reserve and Surpan River.
2.		Khapa	Baihar & Umardoni	RF- 242,243,244,241, 240,245,246,238, 239	1763.00	East- Boundary of Bamhani, Mohgaon revenue village. West- Tanour river. North- Boundary of Umardoni, Mavala, Rajma, Parsatola village. South- State highway No. 26 & boundary of North Balaghat Division.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2017

क्रमांक/1316/1351/2017/10-2 :: भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के उप नियम-03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है।

अनुसूची

क्र.	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमायें
1.	सीहोर	वीरपुरा	कठौतिया शैल चित्र एवं कैम्पिंग साईट	आरक्षित वन-72, 73, 74	634.94	पूर्व- औबेदुल्लागंज वनमण्डल की सीमा। पश्चिम- कक्ष क्र. 71 व 75 की कृत्रिम वन सीमा। उत्तर- भोपाल वनमण्डल की सीमा। दक्षिण- औबेदुल्लागंज वनमण्डल की सीमा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2017

क्रमांक/1316/आर 1351/2017/10-2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर 1351/2017/10-2 दिनांक 07/06/2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 7th June 2017

No./1316 /1351/2017/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-rule 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Ha.)	Boundaries
1.	Sehore	Veerpura	Kathotiya Rock Shelter and Camping site	RF-72 RF-73 RF-74	634.94	East- Boundary of Obedullaganj division West- Artificial boundary of Compartment No. 71 and 75 North- Boundary of Bhopal division. South- Boundary of Obedullaganj division

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2017

क्रमांक/1320/1352/2017/10-2 :: भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के उप नियम-03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमायें
1.	दक्षिण छिन्दवाड़ा	लावाघोघरी	देवगढ़	आरक्षित वन-1763	6.75	पूर्व- कक्ष क्रमांक 1763 पश्चिम- कक्ष क्रमांक 1763 उत्तर- कक्ष क्रमांक 1764 की सीमा। दक्षिण-कक्ष क्रमांक 1763
2.	पूर्व छिन्दवाड़ा	छिंदी	कासरपानी (गरम पानी कुण्ड)	आरक्षित वन-767	5.00	पूर्व- कक्ष क्रमांक 767 पश्चिम- कक्ष क्रमांक 767 उत्तर- कक्ष क्रमांक 767 दक्षिण- कक्ष क्रमांक 767

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2017

क्रमांक/1320/आर 1352/2017/10-2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर 1352/2017/10-2 दिनांक 07/06/2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 7th June 2017

No./1329/1352/2017/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-rule 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

S. no.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hectares)	Boundaries
1.	South Chhindwara	Lavaghogari	Devgarh	RF-1763	6.75	East-Compartment no. 1763 West-Compartment no. 1763 North- Boundary of Compartment no. 1764 South- Compartment no. 1763
2.	East Chhindwara	Chindi	Kasarpani (Garam Kund)	RF-767	5.00	East- Compartment no. 767 West- Compartment no. 767 North- Compartment no. 767 South- Compartment no. 767

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली, जिला रायसेन मध्यप्रदेश

क्र. 1719-भू-अर्जन-2017

बरेली, दिनांक 6 जून 2017

प्रकरण क्रमांक /2015-16 /भू-अर्जन/बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम - सिवनी

तहसील- बरेली

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिवनी	प्रदीप उर्फ उमाकांत आ. बारेवीर जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	35 37	2.225 1.356	0.046 0.002	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की छातैर उप नहर हेतु
2		शैलेन्द्र कुमार आ. रणवीर सिंह जाति किरार नि. बरहा कला भू स्वामी	38	1.141	0.060		
3		सुखिया वाई वि. बैनी सिंह, अशीष कुमार, अरविंद कुमार आ. बैनी सिंह जाति किरार नि. बरहा कला भू स्वामी	39/5 77/2	1.409 1.105	0.183 0.081		
4		शंकरलाल आ. मोहन सिंह जाति कोटवार नि. ग्राम सेवा खातेदार	40	0.753	0.143		
5		पोहपसिंह, रामेशवर, बलवंत, नारायण सिंह, लालवीर, मुन्नीवाई, सुमन्त्रावाई पुत्र/पुत्री गण मिश्रीलाल जाति किरार नि. बरहा कला भू स्वामी	42	3.950	0.117		

6		दर्शन सिंह आ. प्रहलाद सिंह जाति किरार नि. ग्राम बरहा कला भू स्वामी	52	0.947	0.006		
7		नर्मदा प्रसाद आ. राधेलाल जाति विश्वकर्मा नि. ग्राम भू स्वामी	54/1	1.238	0.054		
8		नवल किशोर आ. गोविन्दी जाति विश्वकर्मा नि. ग्राम भू स्वामी	54/2	1.243	0.055		
9		अजुददीलाल आ. बिहारी लाल जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	69/1 187	0.708 1.651	0.030 0.022		
10		राधेश्याम आ. किशन लाल जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	69/2	0.708	0.040		
11		खूबचंद, राधेश्याम आ. किशनलाल जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	70	1.170	0.055		
12		तीरथ प्रसाद आ. खेमकरण जाति किरार नि. बरहा कला भू स्वामी	71/1	2.971	0.045		
13		राधावाई पत्नि राधव सिंह जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	71/2	1.133	0.242		
14		अरविंद कुमार, शैलेन्द्र कुमार, संतोष कुमार आ. राधव सिंह जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	73/1	4.617	0.110		
15		ईश्वरदास आ. नाथू राम जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	77/7	0.405	0.040		
16		माधव सिंह व हल्के भैया आ. बुद्ध जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	80/2/2	1.205	0.103		
17		चंदन सिंह आ. भगवान सिंह जाति किरार नि. भू स्वामी	80/3	0.800	0.036		
18		बैनी सिंह आ. रामरतन जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	81	1.133	0.046		
19		दर्शन सिंह आ. बैनी सिंह जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	82 83	1.133 2.323	0.061 0.068		
20		विमला वाई पुत्री विहारीलाल जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	181	2.477	0.226		
21		प्रेमनारायण आ. बारेवीर जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	182	1.193	0.080		
22		केशर सिंह आ. कोमल सिंह जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	183/1	0.603	0.050		
23		खरगोवाई वि. कोमल सिंह जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	183/2	0.599	0.049		

क्र. 1718-भू-अर्जन-2017

प्रकरण क्रमांक /2015-16 /भू-अर्जन/बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम - बरहा कलां

तहसील- बरेली

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बरहा कलां	किशोर सिंह आ. हरगोविन्द सिंह जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	9	2.307	0.139	कार्यपालन यंत्री बरना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बरना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की छातर उप नहर हेतु
2		रघुनंदन सिंह आ. इमरतलाल जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	10/1	1.889	0.142		
3		गिरजेश कुमार आ. रामसेवक जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	37/3	2.987	0.024		
		आशाराम आ. मुसद्दी लाल जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	39/1 41/1	0.959 0.607	0.068 0.069		
		सुखराम, मोहन आ. सूरत सिंह एवं कमला वाई वि. सूरत सिंह जाति साहू नि. ग्राम भू स्वामी	40	2.072	0.015		
		जमना वाई पत्नि कोमल सिंह जाति साहू नि. ग्राम भू स्वामी	42/1	0.886	0.012		

	हरिनारायण, शिवनारायण, बालमुकुन्द आ. टीकाराम, जानकी वाई पुत्री टीकाराम जाति साहू नि. ग्राम भू स्वामी	42/2	0.890	0.080		
	बिक्रम सिंह आ. नवल किशोर जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	45/2 72/3	2.023 0.469	0.095 0.048		
	चंदावाई पत्नि नवल किशोर जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	72/2	0.664	0.021		
	महेश कुमार आ. रमेश कुमार जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	72/1	2.489	0.150		
	इन्दर सिंह आ. भैयालाल जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	73	2.655	0.148		
	शिवकुमार आ. फूलसिंह जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	80/2	0.809	0.149		
	शंकरलाल आ. छोटेलाल जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	81/1 82	1.425 1.380	0.153 0.052		
	प्रताप सिंह आ. पन्नालाल जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	81/2	1.420	0.049		
	बसंत कुमार आ. मलथू सिंह जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	97	0.713	0.040		
	लक्ष्मीकांत आ. बारेबीर जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	101	0.931	0.080		
	कमला प्रसाद आ. नर्मदाप्रसाद जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	102	2.100	0.021		

डी. एस. तोमर, सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 12 जून 2017

प्र. क्र. क्यू-कोर्ट कले.-राजस्व-भू-अर्जन-7-4561-अ-82-2016-17.-

भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) के अंतर्गत

चूंकि राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि अधोलिखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

- क. जिला - मुरैना
ख. तहसील - जौरा
ग. ग्राम - इटावली
घ. क्षेत्रफल 25.887 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हेक्ट.में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता
1.	2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042	सवदलसिंह रतीराम पुत्र गोरे त्रिवेणी पुत्री गोरे
2.	3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.031	47/985 संभाग महेश्वरी पत्नी बनवारीलाल
3.	4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.314	15/985 राजकिशोर मनोज पुत्र रामवरन
4.	5	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157	31/985 समभाग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी राजकिशोर मनोज पुत्र रामवरन रामवीर
5.	6	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021	पुत्र उत्तमसिंह 49/985 संभाग बनवारी पुत्र
6.	7	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.188	भरतसिंह 31/985 देवी हरिज्ञान पु. शंकर
7.	8	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.251	2/3 संभाग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी गादीपाल बा. उदयरज मिथिलेश नाबा. पुत्र

8.	9	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.230	हरिज्ञान सर. मां खुद गीता पुत्री हरिज्ञान मु. सुन्दरिया बेवा हरिज्ञान संभाग 1/3 दर भाग 8/985 रामवरन रामवीर पत्र. अमरसिंह 65/985 सबदल पुत्र गोरे 1/4 लज्जाराम पुत्र दुर्जन 1/8 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी कल्ला पुत्र दुर्जन 1/4 महेश्वरी पत्नी बनवारीलाल 92/985 रामप्रसाद पु. रामदीन 1/4 दर भाग 30/985 पंजाबसिंह मोहरसिंह मुजबलसिंह नबावसिंह पुत्र नाथूराम 31/985 संभाग लज्जा बा. कल्ला सर. नाबा. पुत्र दुर्जन सर माँ भोगा खुद मु. भोगा बेवा दुर्जन हि. समान 49/985 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी रामप्रकाश नृपालसिंह विद्याराम पुत्र रामदीन मुन्नी लोंगश्री मीना पुत्री रामदीन मु. बैजन्ती बेवा रामदीन संभाग 12/985 दर 61/985 चुन्नी मुन्नी पुत्री दुर्जन 1/ 985 संभाग सरूपा पुत्र मंगलिया 32/985 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सोवरन पुत्र. मंगलिया 11/985 सोनेराम गोपाली पुत्र हरिप्रसाद संभाग 11/985 बादशाह पत्नी अर्जुनसिंह रामसखी पत्नी अशोकसिंह गुडिया पत्नी बलवीर सिंह 2510/3340 नारायण बलीराम भूरा जसरथ पुत्र सीताराम संभाग 830/3340 सीताराम पुत्र चन्द्रहंश 46/985 रामरतन रामप्रसाद मुरारीलाल बा. पंजाबसिंह नाबा. पत्र.
9.	10	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.575	
10.	12	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.199	
11.	13	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.094	
12.	14	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.398	
13.	15	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021	
14.	16	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.146	
15.	17	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021	
16.	18	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010	
17.	19	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.933	
18.	20/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021	
19.	21	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042	
20.	22	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042	
21.	23	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052	
22.	24	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052	
23.	25	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.878	
24.	27	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021	
25.	28	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.439	
26.	36	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.369	

27.	37	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.063	कुन्दनसिंह सर. पि. पता निवासी ग्राम 194/985 समान भाग भूमि स्वामी
28.	40	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.136	रमेश महाराजसिंह बासुदेव मातादीन मचला पुत्र. लछमनि द्रोपती कमला पुत्री. लछमनि संभाग 53/985 लज्जराम पुत्र. दुर्जन 1/2 कल्याण श्रीलाल पुत्र. दुर्जन संभाग 46/985 जाति गड़रिया पता निवासी गड़रिया का पुरा भूमि स्वामी
29.	41	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.692	
30.	43	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.439	
31.	44/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.418	
32.	11	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.115	बाबू मन्डे पूरन पप्पू पुत्र श्यामा फूलो गोभा पुत्री. श्यामा मु. ओछी बेवा श्यामा संभाग 1/2 रमेश महाराजसिंह बासुदेव रामदीन मचला पुत्र. लछमनि संभाग 1/2 जाति गड़रिया पता निवासी गड़रिया का पुरा भूमि स्वामी
33.	38	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.251	वद्री सूबालाल विन्द्रावन परिमाल मुन्शी पुत्र किशनलाल कटोरी रेवती पुत्री. किशनलाल जाति गड़रिया पता निवासी गड़रिया का पुरा समान भाग भूमि स्वामी
34.	39/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052	
35.	39/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105	बादशाह पत्नी अनुरूप सिंह रामसखी पत्नी अशोक सिंह गुडिया पत्नी बलवीरसिंह संभाग 1/5 जाति गू. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूरी, जावित्री, ल्होरी पुत्री. भीखा संभाग 2/5 रतीराम, मनीराम, सुरेश पुत्र. सुमन्त नारायणी बसन्तीबाई पुत्री. सुमन्त संभाग 1/5 जाति गड़रिया पता निवासी गड़रिया का पुरा भूमिस्वामी

36.	42/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105	रामरतन रामप्रसाद मुरारीलाल पंजाब सिंह पुत्र कुन्दन सिंह स. भाग 1/2 प्यारे पुत्र कन्हई 6/30 दीवलिया पुत्री कन्हई 1/30 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी मुन्शी नबाव सिंह कप्तान सिंह पुत्र मोहरपाल सिंह मु. ओछी वेवा मोहरपाल सिंह संभाग 1/30 रामदयाल रामवरन करन सिंह पुत्र भोगी अंगूरी मुन्नी पुत्रि भोगी मु. वतसिया वेवा भोगी संभाग 1/5 जाति गड़रिया पता निवासी गड़रिया का पुरा भूमि स्वामी
37.	47/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.254	पालसिंह राधेश्यामसिंह वकीलसिंह पि. ओतारसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
38.	50	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.679	मुरारी भाग 98/228 रामप्रसाद भाग 57/228 पंजाब सिंह भाग 57/228 पुत्रगण कुन्दन सिंह
39.	51	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.199	राजीव पुत्र रामरतन भाग 16/228 जाति गड़रिया पता निवासी गड़रिया का पुरा भूमि स्वामी
40.	52	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.355	
41.	57/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	2.090	देवलाल पुत्र चुन्नी जाति गड़रिया पता निवासी गड़रिया का पुरा भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
42.	65 173	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.031 0.094	छविराम खूब सिंह पि. पंचम सिंह हि. समान 245/295 वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह शान्ता पुत्री गजेन्द्र सिंह मु. लाली वेवा गजेन्द्र सिंह हि. 50/295 समान जाति गूठा. पता नि. चन्दपुरा भूमिस्वामी
43.	87/1 89/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.836 1.672	घनीराम नन्दराम लक्ष्मण पोखन केशव पुत्र. शिवलाल काशी रामरती वेदमती पुत्री. शिवलाल

					मु. कौशा बेवा शिवलाल 1/2 हीरा भगवानसिंह पुत्र. खोखलिया संभाग 2/3 जाति काछी पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार अहस्तांतरणीय हाकिमसिंह पुत्र सोबरन विजयसिंह पु. मंगलसिंह संभाग 1/3 दर भाग 1/2 जाति काछी पता निवासी ग्राम मजरा खोखलिया का पुरा लोहाबसई शासकीय पट्टेदार अहस्तांतरणीय
44.	91/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.254	घनीराम पुत्र शिवलाल जाति काछी पता निवासी लोहाबसई मजरा खोखलिया का पुरा भूमिस्वामी
45.	172/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.293	हरिकन्ठ पुत्र ल्होरे जाति घोवी पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार अहस्तांतरणीय
46.	172/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.293	बद्री पुत्र लालाराम जाति काछी पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार अहस्तांतरणीय
47.	175/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.209	रामकुमार नाबा. पुत्र भरोसी कमला गुडडी नाबा. पुत्री भरोसी सरप. मां. खुद मु. विन्दावनी बेवा भरोसी जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी शासकीय पट्टेदार अहस्तांतरणीय
48.	175/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.251	शिवलाल पुत्र रामचरन रामबेटी गुडडी पुत्री. रामचरन जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम समान.भाग. शासकीय पट्टेदार अहस्तांतरणीय
49.	175/4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.449	श्रीलाल पुत्र मोजीलाल जाति पहार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
50.	493 495	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021 0.251	बुद्धि शिवसिंह पुत्र नारायण मु. बैजन्ती बेवा नारायण रामप्यारी प्रयागो रामबेटी गुडडी पुत्री

	498/2			0.104	नारायण पाँचो कटोरी पुत्री. लालाराम जाति काछी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
	508/2			0.094	
51.	501 502 503 508/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.125 0.261 0.094	लालजीत सिंह सतेन्द्रसिंह राजेन्द्र सिंह पुत्र हमीरसिंह हि. 1/2 समान बलवीरसिंह, कौशलसिंह, लालजीत, विनोद पुत्र उदयमान 1/2 समान जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
52.	497 499 498/1 507 508/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.355 0.105 0.042 0.031	तुलाराम पुत्र करनसिंह जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
53.	594 596	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.003 0.387	विनोदसिंह योगेन्द्र पुत्र गन्धर्वसिंह संभाग. 2/3 राजेश सिंह पु. रामकुमार मु. प्रेमादेवी बेवा रामकुमार संभाग 1/3 जाति गूठा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
54.	602/1 603 604 606 608	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.585 0.199 0.324 0.397 0.627	रवीन्द्रसिंह उर्फ रिकू धर्मेन्द्रसिंह पि. ब्रजेश कुमार जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की जौरा तहसील में ग्राम धमकन के नजदीक आवश्यकता है:- आसन नदी पर आसन बैराज निर्माण हेतु।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी जौरा जिला मुरैना के कार्यालय में देख जा सकता है।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जल संसाधन संभाग जौरा जिला मुरैना के कार्यालय में देख जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

NO. 662-55-CHE-Shakha-5A-2017

SUBJECT: Applied Psychology

Bhopal, Dated 3rd June, 2017

Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub-section (5) of section 34-A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 vide his order No. F-8-1/2014/R.S./U.A.-3/668 dated 29-05-2017, 1, the Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh, Bhopal hereby constitute, the Central Board of Studies for under Graduate courses Applied Psychology as under:-

Section 34-A (3)(i)

1. Dr. Prabha Kiran, Govt. Educational Psychology & Philosophy College, Jabalpur, Chairman, Board of Studies in Applied Psychology, Rani Durgavati University, Jabalpur
2. Dr. Anjali Shrivastava, Chairman, Board of Studies in Applied Psychology A.P.S. University, Rewa
3. Dr. Saroj Kothari, M.A. Govt. Girls College Indore, Chairman, Board of Studies in Applied Psychology, Devi Ahilya University, Indore
4. Dr. Indu Banshal, Govt. Girls College Ujjain, Chairman, Board of Studies in Applied Psychology Vikram, University, Ujjain
5. Dr. Anita Tiwari, Chairman, Board of Studies in Applied Psychology Jiwaji University, Gwalior

Section 34-A (3)(ii)

1. Dr. Pratibha Shrivastava, Govt. Girls P.G. College, Ujjain
2. Dr. Manju Shukla, Govt. Arts and Commerce Hamidia College, Bhopal
3. HOD Psychology, Govt. M.L.B. P.G. College, Gwalior
4. HOD Psychology, Govt. Mahakaushal College, Jabalpur

Section 34-A (3)(iii)

1. Dr. Ragini Shukla, Govt. Home Science College, Hosangabad
2. Dr. Aruna Shukla, Govt. Edu. Psychology & Philosophy College, Jabalpur
3. Dr. Kamlesh Upadhyaya, Govt. Girls College, Nimuch
4. Dr. Neera Shrivastava, Govt. Vijaya Raje Scindia Girls P.G. College, Gwalior

Section 34-A (3)(iv)

1. Dr. Basheer Hasan, Dept. of Psychology, Pandit Ravi Shankar University, Raipur
2. Dr. P.C. Mishra, Dept. of Psychology, Lucknow University, Lucknow
3. Dr. Tara Singh, Dept. of Psychology, Banaras Hindu University, Varanasi

Section 34-A (3)(v)

Commissioner Nominee

Dr. Veena Dani, Govt. S.N.G. P.G. College, Bhopal

Section 34-A (4)(ii)

Dr. Prabha Kiran, Govt. Educational Psychology & Philosophy College, Jabalpur Chairman, Board of Studies in Applied Psychology, Rani Durgavati University, Jabalpur is being nominated as Chairman, Central Board of Studies for Applied Psychology

NO. 686-55-CHE-Shakha-5A-2017

SUBJECT: Soil Conservation & Water Management

Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub-section (5) of section 34-A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 vide his order No. No. F-8-1/2014/R.S./U.A.-3/377 dated 06-04-2017, I the Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh, Bhopal hereby constitute, the Central Board of Studies for under Graduate courses **Soil Conservation & Water Management** as under:-

Section 34-A (3)(i)

- 1 Prof. S.K Verma, HOD Agriculture Chemistry & Soil Science College of Agriculture Gwalior, Rajmata Vijayraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya, Gwalior

Section 34-A (3)(ii)

- 1 Dr. S.C. Gupta, College of Agriculture, Rajmata Vijayraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya, Gwalior
- 2 Dr. B. Sachidanand, Department of Soil Science College of Agriculture, J.N.K.V.V. Jabalpur
- 3 U. S. Khandekar, Department of Soil Science College of Agriculture, Indore
- 4 Head of the Dept. P.G College, Badwani.

Section 34-A (3)(iii)

- 1 Head of the Dept. Shivkumar Singh College of Professional, Village Pitampur, Indore

Section 34-A (3)(iv)

1. Dr. Jashwant Singh, Dr. Ram Manohar Lohiya Awadh University, Faizabad
2. Prof. N.K. Agrawal, Hemvati Nandan Bahuguna University, Sirinagar, Uttarakhand

Section 34-A (3)(v)

Commissioner Nominee

Dr. R.K. Upadhyay, Central Fisheries Educational Inst. Powarkheda, Hoshangabad

Section 34-A (4)(ii)

Prof. S.K. Verma, HOD Agriculture Chemistry & Soil Science College of Agriculture Rajmata Vijayraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya, Gwalior is being nominated as Chairman, Central Board of Studies for Soil Conservation And Water Management Environmental Science.

NO. 684-55-CHE-Shakha-5A-2017

SUBJECT: B.Com Honours, Tour & Travel Management, Hotel Management and Advertising, Sales Promotion, Management, Stenography

Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub-section (5) of section 34-A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 vide his order No. F-8-1/2014/R.S./U.A.-3/668 dated 29-05-2017, I, the Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh, Bhopal hereby constitute, the Central Board of Studies for under Graduate courses **B.Com Honours, Tour & Travel Management, Hotel Management and Advertising, Sales Promotion, Management, Stenography** as under:-

Section 34-A (3)(i)

1. **Dr. Atul Pandey, Chairman, Board of Studies in Business Management, A.P.S. University, Rewa**
2. **Dr. Rajnesh Jain, Chairman, Board of Studies in Management Devi Ahilya University, Indore**
3. **Dr. Yogesh Upadhyaya, Chairman, Board of Studies in Business Management Jiwaji University, Gwalior**
4. **Dr. Ravindra Kumar Jain, Chairman, Board of Studies in Business Management Vikram University, Ujjain**
5. **Dr. Pawan Mishra, Chairman, Board of Studies in Management, Barkatullah University, Bhopal**
6. **Dr. S.K. Khatik, Chairman, Board of Studies in Business Electronic & Business Administration, Barkatullah University (B.U.), Bhopal**
7. **Dr. Narendrea Shukla, Gyan Ganga Institute of Technology and Science, Jabalpur**

Section 34-A (3)(ii)

1. **Dr. Vivek Sharma, Head of the Dept. Management, B.U. Bhopal**
2. **Dr. Amarjeet Singh, Head of the Dept. I.P.E.R. Bhopal**
3. **Dr. Harish Agrawal, Head of the Dept. Govt. K.R.G. Girls P.G. College, Gwalior**
4. **Dr. C. Rajesh Kumar, Head of the Dept. Syna International College of Management Studies Katni**
5. **Dr. S.K. Gandhi, O.S.D. D.T.E. 4th Flour Satpura Bhawan, Bhopal**

Section 34-A (3)(iii)

1. **Dr. S.D. Malviya Head of the Dept. Tour & Travel I.P.S. Academy, Indore**
2. **Dr. Surindar Kaur Batra, Govt. Sarojini Naidu Girls P.G. College, Bhopal**

3. Dr. Preeti Jain, Nachiketa College of Computer Science and Technology, Jabalpur
4. Dr. B.M.S. Bhadoriya, Govt. M.L.B. Girls P.G. College, Bhopal
5. Dr. P.K. Jain, Govt. Girls College, Balaghat

Section 34-A (3)(iv)

1. Prof. M.C. Sharma, Dept. of Commerce, A.B.S. Rajasthan University, Jaipur
2. Prof. Rajkumar, Dept. of Management, B.H.U. Varanasi
3. Dr. G.S. Batra, Dept. of Hotel Management, Panjab University, Patiyala
4. Dr. Nageshwar Rao, Dept. of Advertising, Indira Gandhi National Open University, New Delhi
5. Dr. S.K. Lenka, Dept. of Tour & Travel Management, I.I.T. Bhubaneswar, Odisha
6. Prof. Somesh Shukla, Dept. of Sales Promotion, Lucknow, University, Lucknow

Section 34-A (3)(v)

Commissioner nominee

Dr. Nirmal Chand Jain, M.P. Bhoj Open University, Bhopal

Section 34-A (4)(ii)

Dr. Atul Pandey, Chairman Board of Studies, Business Management A.P.S. University, Rewa is being nominated as Chairman, Central Board of Studies for B.Com Honours, Tour & Travel Management, Hotel Management and Advertising, Sales Promotion, Management, Stenography

NO. 682-55-CHE-Shakha-5A-2017

SUBJECT: Computer Application, Electronic Equipment Maintenance, Information Technology, Computer Maintenance

Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub-section (5) of section 34-A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 vide his order No. F-8-1/2014/R.S./U.A.-3/668 dated 29-05-2017, I, the Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh, Bhopal hereby constitute, the Central Board of Studies for under Graduate courses **Computer Application, Electronic Equipment Maintenance, Information Technology, Computer Maintenance** as under:-

Section 34-A (3)(i)

1. Dr. Sanjay Tanwani, Chairman, Board of Studies in Computer Application, Information Technology, Devi Ahilya University, Indore
2. Dr. Umesh Kumar Singh, Chairman, Board of Studies in Computer Application, Vikram University, Ujjain

3. Dr. R.K. Pandey, Chairman, Board of Studies in Computer Maintenance, Rani Durgavati University, Jabalpur
4. Prof. Sanjay Kumar Gupta, Chairman, Board of Studies in Computer Application, Jiwaji University, Gwalior
5. Dr. Abhilasha Kumar, Satya Sai Girls College, Bhopal, Chairman Board of Studies in Computer Application, Barkatullah University, Bhopal
6. Dr. S.P. Sanyal, Chairman, Board of Studies in Electronic Equipment and Maintenance, Barkatullah University, Bhopal

Section 34-A (3)(ii)

1. Dr. D.N. Goswami, U.T.D. Jiwaji University, Gwalior
2. Dr. Nidhi Choubey, Govt. M.K.B. Home Science Girls P.G. College, Jabalpur
3. Dr. Poonam Sinha, B.U.I.T. Bhopal
4. Dr. Y.S. Chouhan, Christian Eminent Academy, Indore

Section 34-A (3)(iii)

1. Dr. Sunanda Manke, B.U.I.T. Bhopal
2. Dr. Ashok Das Gupta, Hitkarni Women College, Jabalpur
3. Dr. S.K. Kurariya, Computer Maintenance, Mata Gujri Women Govt. College, Jabalpur
4. Dr. Anuj Hundait, Physics, I.E.H.E. Bhopal

Section 34-A (3)(iv)

1. Dr. Nilesh Multare, Dept. of Computer Application, R.C. Technical Institution, Ahemdabad
2. Prof. Ravindra Singh, Dept. of Information Technology, Rohil Khand, University, Bareilly
3. Dr. Sanjay Tiwari, Dept. of Physics, Ravishankar University, Raipur

Section 34-A (3)(v)

Commissioner nominee

Dr. Surendra Singh Solanki, Govt. Girls College, Khandwa

Section 34-A (4)(ii)

Dr. Sanjay Tanwani, Chairman, Board of Studies, Computer Application is being Nominated as Chairman, Central Board of Studies for Computer Application, Electronic Equipment Maintenance, Information Technology, Computer Maintenance Devi Ahilya University, Indore

NO. 678-55-CHE-Shakha-5A-2017

SUBJECT: Prachya Sanskrit, Sahitya, Nav Vyakran, Shukla Yajurveda and Falit Jyotishi, Siddhant Jyotishi

Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub-section (5) of section 34-A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 vide his order No. F-8-1/2014/R.S./U.A.-3/668 dated 29-05-2017, I, the Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh, Bhopal hereby constitute, the Central Board of Studies for under Graduate courses Prachya Sanskrit, Sahitya, Nav Vyakran, Shukla Yajurveda, Falit Jyotishi, Siddhant Jyotishi as under:-

Section 34-A (3)(i)

1. Dr. Kamal Shukla, Chairman, Board of Studies in Prachya Sanskrit, Rani Durgavati University, Jabalpur
2. Dr. Rajandra Prasad Chaturvedi, Govt. T.R.S. Rewa College, Rewa
Chairman, Board of Studies in Prachya Sanskrit, APS University, Rewa
3. Dr. Balkrishan Sharma, Chairman, Board of Studies in Prachya Sanskrit
Vikram University Ujjain
4. Dr. Nalini Joshi Shri Atal Bihari Vajpayee Govt. Arts & Commerce College,
Indore Chairman, Board of Studies in Prachya Sanskrit, Devi Ahilya
University, Indore
5. Dr. Krishna Jain, Chairman, Board of Studies in Prachya Sanskrit, Jiwaji
University, Gwalior

Section 34-A (3)(ii)

1. Dr. Radhika P.D. Mishra R.D.V.V. Jabalpur
2. Dr. Panchamlal Jharia Govt. R.D. P.G. College, Mandala
3. Dr. Krishna Jain, Govt. K.R.G. Gwalior
4. Dr. Balmik Prasad Mishra, Govt. Sanskrit College, Rewa

Section 34-A (3)(iii)

1. Dr. Smt. Mala Payasi, Govt. M.K.B. College, Jabalpur
2. Dr. Gansadhar Tripathi, Shri Janki Raman College, Jabalpur
3. H.O.D. Sanskrit Govt. Sanskrit College, Lalghati, Bhopal

Section 34-A (3)(iv)

1. Dr. Pramod Kumar, Dept. of Prachya Sanskrit, J.R. Rajasthan University,
Jaipur
2. Dr. Shivakant Mishra, Dept. of Prachya Sanskrit, J.R. Rajasthan University,
Jaipur
3. Dr. Ramesh Bhardwaj, Dept. of Prachya Sanskrit, Gandhi Hindustani Sahitya
Sabha Sannidhi-1, Jawahar Lal Nehru Marg, Rajghat, New Delhi

Section 34-A (3)(v)

Commissioner nominee

Dr. Vishnu Kumar Sharma, Govt. P.G. College, Jaora, Ratlam

Section 34-A (4)(ii)

Dr. Kamal Shukla, Chairman Board of Studies, Prachya Sanskrit, is being nominated as Chairman, Central Board of Studies for Prachya Sanskrit, Sahitya, Nav Vyakran, Shukla Yajurveda, Falit Jyotishi, Siddhant Jyotishi

NO. 680-55-CHE-Shakha-5A-2017

**SUBJECT: Clinical Nutrition & Dietetics, Hospital Services Management,
Fashion Design**

Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub-section (5) of section 34-A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 vide his order No. F-8-1/2014/R.S./U.A.-3/668 dated 29-05-2017, I, the Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh, Bhopal hereby constitute, the Central Board of Studies for under Graduate courses **Clinical Nutrition & Dietetics, Hospital Services Management, Fashion Design** as under:-

Section 34-A (3)(i)

1. Dr. Kalpana Gupta, Govt. M.K.B. Girls P.G. College, Jabalpur, Chairman, Board of Studies in Clinical Nutrition & Dietetics, Rani Durgavati University, Jabalpur
2. Dr. Urmila Sharma, Govt. Girls College, Rewa, Chairman, Board of Studies in Clinical Nutrition & Dietetics, A.P.S. University, Rewa
3. Dr. Manju Patni, Chairman, Board of Studies in Clinical Nutrition & Dietetics Devi Abilya University, Indore
4. Dr. Chandra kanta Sarraf Govt. Girls College, Ujjain Chairman, Board of Studies in Clinical Nutrition & Dietetics, Vikram University Ujjain
5. Dr. Manju Dubey, Chairman, Board of Studies in Clinical Nutrition & Dietetics Jiwaji University, Gwalior

Section 34-A (3)(ii)

1. Dr. Ranjana Upadhyaya, Home Science, S. N. Girls P.G. College, Bhopal
2. Dr. Dhira Wani, Hospital Service Management Arihant College, Indore
3. Head of the Dept., Home Science Govt. Geetanjali Girls P.G. College Bhopal
4. Head of the Dept. Home Science, Govt. M. H. College of Home Science & Science for Women, Jabalpur

Section 34-A (3)(iii)

1. Dr. Sujata Maharshi, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore
2. Head of the Dept. Home Science Govt. T.R.S. College, Rewa
3. Head of the Dept. Home Science Govt. M.L.B. Girls P.G. College, Gwalior
4. Head of the Dept. Home Science Govt. Kalidas Girls College, Ujjain

Section 34-A (3)(iv)

1. Dr. Chanchal Verma, Dept. of Home Science, M.B.B. P.G. College, Dadri G.B. Nagar, Noida
2. Dr. Priya Gupta, Dept. of Home Science, Devta P.G. College, Murena Bijnour, UP
3. Dr. Rashmi Minzo, Dept. of Home Science, Govt D.V. Girl P.G. College, Raipur, CG

Section 34-A (3)(v)

Commissioner nominee

Dr. Geetali Sengupta, Govt. Girls College, Khandwa

Section 34-A (4)(ii)

Dr. Kalpana Gupta, Govt. M.K.B. Girls P.G. College, Jabalpur, Chairman, Board of Studies, Home Science, is being nominated as Chairman, Central Board of Studies for Clinical Nutrition & Dietetics, Hospital Services Management, Fashion Design

NO. 676-55-CHE-Shakha-5A-2017

SUBJECT: Music - B.A. Honours, Vocal, Instrumental, Percussion, Non Percussion

Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub-section (5) of section 34-A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 vide his order No. F-8-1/2014/R.S./U.A.-3/668 dated 29-05-2017, I, the Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh, Bhopal hereby constitute, the Central Board of Studies for under Graduate courses Music - B.A. Honours, Vocal, Instrumental - Percussion, Non Percussion as under:-

Section 34-A (3)(i)

1. Dr. Suhashini Sathe, Govt. Girls Degree College, Rewa Chairman, Board of Studies in Music, A.P.S. University, Rewa
2. Dr. Meena Moghe, Govt. Kali Das Girls P.G. College, Ujjain Chairman, Board of studies in Music, Vikram University, Ujjain
3. Dr. Sanjeev Bhandari, Govt. Rajmata Vijayaraje Scindia, Girls. P.G. College, Murar Chairman, Board of Studies in Music, Jiwaji University, Gwalior
4. Dr. Ravi Kumar Pandole, Govt. M.L.B. Girls P.G. College, Bhopal Chairman, Board of Studies in Music, Barkatullah University, Bhopal

Section 34-A (3)(ii)

1. Dr. Smita Sahastrabuddhe, Govt. K.R.G. Girls P.G. College, Gwalior
2. Dr. Ashwina Rangnekar, Govt. Sarojini Naidu Girls P.G. College, Bhopal
3. Dr. Nagesh Tripathi, Govt. T.R.S. P.G. College, Rewa
4. Dr. Lokesh Vahne, Govt. Girls P.G. College, Ujjain
5. Dr. Rajeev Jain, Govt. M.K.B. Home Science Girls P.G. College, Jabalpur

Section 34-A (3)(iii)

1. Dr. Prakash Kadotiya, Govt. Kalidas Girls P.G. College, Ujjain
2. Dr. Sudha Dixit, Govt. Sarojini Naidu Girls P.G. College, Bhopal
3. Dr. Neeraj Rao, Govt. Girls P.G. College, Ratlam
4. Dr. Anoop Moghe, Govt. K.R.G. Girls P.G. College, Gwalior
5. Dr. Devashis Benerjee, Govt, Girls Degree College, Rewa

Section 34-A (3)(iv)

1. Dr. Devendra Verma-Director, Lalit Kala Sansthan, New Delhi
2. Dr. Rajesh Kelkar, Head of the Dept. Performing Arts, M. S. University, Baroda
3. Dr. Mukund Bhale, Dept. of Music, Instrumental Music Indira Kala Sangit Vishvidhyalaya, Khairagarh, CG

Section 34-A (3)(v)

Commissioner nominee

Dr. Smita Khanwilkar, Govt. Nutan P.G. Girls College, Killa Bhavan, Indore

Section 34-A (4)(ii)

Dr. Suhashini Sathe Govt. Girls Degree College, Rewa, is being nominated as Chairman, Central Board of Studies for Music - B.A. Honours, Vocal, Instrumental - Percussion, Non Percussion.

NO. 670-55-CHE-Shakha-5A-2017

SUBJECT: Rural Banking, Business Economics

Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub-section (5) of section 34-A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 vide his order No. F-8-1/2014/R.S./U.A.-3/668 dated 29-05-2017, I, the Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh, Bhopal hereby constitute, the Central Board of Studies for under Graduate courses **Rural Banking, Business Economics** as under:-

Section 34-A (3)(i)

1. Dr. Sunita Vathare, Govt. S.N.S. College, Shadol Chairman, Board of Studies in Economics A.P.S. University, Rewa
2. Dr. Gyan Prakash, Chairman, Board of Studies in Economics Devi Ahilya University, Indore
3. Dr. Topan Chourey, Chairman, Board of Studies in Economics, Vikram University, Ujjain
4. Dr. S.K. Shukla, Chairman, Govt. College, Rajgarh, Board of Studies in Economics Jiwaji University, Gwalior
5. Dr. R.K. Sharma, Chairman, Govt. College, Rajgarh, Board of Studies in Economics Barkatullah University, Bhopal

Section 34-A (3)(ii)

1. Dr. Asha Saikhi, Govt. P.G. College, Badwani
2. Head of the Dept. Rural Banking, Princeton College, Raisen
3. Head of the Dept. Rural Banking, Gurukripa College, of Professional Studies, Raisen
4. Head of the Dept. Economics Govt. T.R.S. College, Rewa

Section 34-A (3)(iii)

1. Dr. D.V. Singh, Govt. Bhagwat Sahaya College, Gwalior
2. Dr. Rita Jaiswal, Govt. M.G.M. College, Itarsi
3. Head of the Dept. Economics Govt. Mahakoshal College, Jabalpur
4. Head of the Dept. Economics Govt. M.L.B. Girls College, Bhopal
5. Head of the Dept. Economics Govt. Girls College, Ujjain

Section 34-A (3)(iv)

1. Dr. Suman Pamecha, Dept. of Economics, Rajasthan Vidya Peeth, Pratap Nagar, Udaipur
2. Dr. Prashant Ghosh, Dept. of Economics, Allahabad University, Allahabad
3. Dr. Pradeep Kumar Pandey, Dept. of Economics, Kashi Vidya Peeth, Varanashi

Section 34-A (3)(v)

Commissioner nominee

Dr. Daya Shankar Tiwari, Govt. Sanjay Gandhi College, Sidhi

Section 34-A (4)(ii)

Dr. Sunita Vathare, Chairman Board of Studies, Economics, is being nominated as Chairman, Central Board of Studies for Rural Banking, Business Economics

NO. 668-55-CHE-Shakha-5A-2017

SUBJECT: Dance Kathak, Dance Bharatnatyam

Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub-section (5) of section 34-A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 vide his order No. F-8-1/2014/R.S./U.A.-3/668 dated 29-05-2017, I, the Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh, Bhopal hereby constitute, the Central Board of Studies for under Graduate courses **Dance Kathak, Dance Bharatnatyam** as under:-

Section 34-A (3)(i)

1. **Dr. Meera Kale, Govt. M.K.B. Grils P.G. College, Jabalpur Chairman, Board of Studies in Music and Dance, R.D. University, Jabalpur**
2. **Dr. Rashmi Rathore, Chairman, Board of Studies in Dance – Kathak-Bharatnatyam, Barkatullah University, Bhopal**
3. **Dr. Swarna Tavse, Mata Jija Bai P.G. College, Indore Chairman, Board of Studies in Dance D.A.V.V. Indore**

Section 34-A (3)(ii)

1. **Dr. Suchitra Harmalkar (Shishir), Govt. Girl P.G. College, Indore**

Section 34-A (3)(iii)

1. **Dr. Lata Singh Munshi, Govt. M.L.B. Girl P.G. College, Bhopal**
2. **Smt. Sudha Singh, Govt. Girls P.G. College, Indore**

Section 34-A (3)(iv)

1. **Smt. Geeta Chouhan, B-45, Gulmohar Park, New Delhi**
2. **Smt. Leela Samson, 6-Beach Road Kala Kshetra Colony, Chennai**
3. **Smt. Vidhi Nagar, 62 Manas Nagar Cololy, Durga Kund, Varanasi**

Section 34-A (3)(v)

Commissioner nominee

Dr. Bhagwandas Manik, Govt. Girl P.G. College, Murar

Section 34-A (4)(ii)

Dr. Meera Kale, Govt. M.K.B. Grils P.G. College, Jabalpur Chairman Dance – Kathak-Bharatnatyam Barkatullah University, Bhopal is being nominated as Chairman, Central Board of Studies for Dance Kathak, Dance Bharatnatyam

NO. 666-55-CHE-Shakha-5A-2017

SUBJECT: Fisheries

Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub-section (5) of section 34-A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 vide his order No. F-8-1/2014/R.S./U.A.-3/668 dated 29-05-2017, I, the Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh, Bhopal hereby constitute, the Central Board of Studies for under Graduate courses **Fisheries** as under:-

Section 34-A (3)(i)

1. **Dr. C.S. Shrivastava, Govt. Holkar Science College, Indore Chairman, Board of Studies in Fisheries, Devi Ahilya University, Indore**
2. **Dr. Sharad Shrivastava, Chairman, Board of Studies in Fisheries Vikram University, Ujjain**
3. **Dr.P.K. Tiwari, Chairman, Board of Studies in Fisheries Jiwaji University, Gwalior**
4. **Dr. Jayshri Sharma, Govt. Model Science College, Jabalpur Chairman, Board of Studies in Fisheries Rani Durgavati University, Jabalpur**
5. **Dr. Romsha Singh, Govt. M.L.B. Girls P.G. College, Bhopal, Chairman Board of Studies in Fisheries, Barkatullah University, Bhopal**

Section 34-A (3)(ii)

1. **Head of the Dept. Fisheries, Govt. P.G. College, Shahdol**
2. **Head of the Dept. Fisheries, Govt. P.G. Girls College, Badwani**

Section 34-A (3)(iii)

1. **Dr. Rajendra Chouhan, Govt. M.V.M. College, Bhopal**
2. **Dr. Praveen Tamot, Govt. M.L.B. Girl P.G. College, Bhopal**

Section 34-A (3)(iv)

1. **Dr. C.K. Mishra, Dept. of Fisheries, I.C.A.R. CIFA, ANAND Central Institute of Freshwater Aquaculture**
2. **Dr. Aparna, Dept. of Fisheries, I.C.A.R. Central Institute Fisheries Education Deemed University, Mumbai**
3. **Dr. Santosh Kumar, Dept. of Fisheries, I.C.A.R. National Bureau of Fisheries Genetic Resources, Lucknow**

Section 34-A (3)(v)

Commissioner nominee

Dr. Pradeep Shrivastava, Limnology Dept. B.U. Bhopal**Section 34-A (4)(ii)**

Dr. C.S. Shrivastava, Govt. Holkar Science College, Indore Chairman Board of Studies, Fisheries is being nominated as Chairman, Central Board of Studies for Fisheries

NO. 660-55-CHE-Shakha-5A-2017

SUBJECT: Arabic

Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub-section (5) of section 34-A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 vide his order No. F-8-1/2014/R.S./U.A.-3/668 dated 29-05-2017, I, the Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh, Bhopal hereby constitute, the Central Board of Studies for under Graduate courses Arabic as under:-

Section 34-A (3)(i)

1. Dr. Aisa Raees, U.T.D. Chairman, Board of Studies in Arabic, Barkatullah University, Bhopal

Section 34-A (3)(ii)

Nil

Section 34-A (3)(iii)

Nil

Section 34-A (3)(iv)

1. Dr. Kafeel Ahamad Kasim, Dept. of Arabic, Aligarh Muslim University, Aligarh (UP)
2. Dr. Masood Anwar Alvi, Dept. of Arabic, Aligarh Muslim University, Aligarh (UP)
3. Prof. M.N. Khan, Dept. of Arabic, Delhi University, Delhi

Section 34-A (3)(v)

Commissioner nominee

1. Dr. M.I. Masood Govt. Hamidia Arts and Commerce College, Bhopal

Section 34-A (4)(ii)

Dr. Aisa Raees, Chairman Board of Studies, Arabic, is being nominated as Chairman, Central Board of Studies for Arabic, Barkatullah University, Bhopal

NO. 658-55-CHE-Shakha-5A-2017

SUBJECT: Persian

Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub-section (5) of section 34-A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 vide his order No. F-8-1/2014/R.S./U.A.-3/668 dated 29-05-2017, I, the Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh, Bhopal hereby constitute, the Central Board of Studies for under Graduate courses **Persian** as under:-

Section 34-A (3)(i)

1. Dr. S.M. Shakeel, Seva Sadan College, Burhanpur, Chairman, Board of Studies in Persian D.A.V.V. Indore
2. Dr. Tahira Abbasi, U.T.D. Chairman, Board of Studies in Persian, Barkatullah University, Bhopal

Section 34-A (3)(ii)

Nill

Section 34-A (3)(iii)

Nill

Section 34-A (3)(iv)

1. Dr. Hadees Ansari, Dept. of Persian, Govt. Sukhanand College, Udaipur
2. Dr. Sayed Sajjad Hussain, Dept. of Persian, Madras University, Chennai
3. Dr. Asif Naim Siddiqui, Dept. of Persian, Aligarh Muslim University, Aligarh

Section 34-A (3)(v)

Commissioner nominee

Nill

Section 34-A (4)(ii)

Dr. S.M. Shakeel, Seva Sadan College, Burhanpur, Chairman Board of Studies, Persian, is being nominated as Chairman, Central Board of Studies for Persian, D.A.V.V. Indore

NO. 656-55-CHE-Shakha-5A-2017

SUBJECT: Marathi

Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub-section (5) of section 34-A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 vide his order No. F-8-1/2014/R.S./U.A.-3/668 dated 29-05-2017, I, the Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh, Bhopal hereby constitute, the Central Board of Studies for under Graduate courses **Marathi** as under:-

Section 34-A (3)(i)

1. Dr. Sarika Thosar, C.P. College, Jabalpur, Chairman, Board of Studies in Marathi, Rani Durgawati University, Jabalpur
2. Dr. Pranjali Kulkarni, Govt. P.G. College, Ujjain Chairman, Board of Studies in Marathi, Vikram university, Ujjain

Section 34-A (3)(ii)

NIL

Section 34-A (3)(iii)

NIL

Section 34-A (3)(iv)

1. Dr. Vandana Joshi, Dept. of Marathi, Pune University, Pune
2. Dr. Sanjay Karavdikar, Dept. of Marathi, Baroda University, Baroda
3. Dr. Madhavi Kharet, Dept. of Marathi, Shri Sahu Mandeer College, Pune

Section 34-A (3)(v)

Commissioner nominee

NIL

Section 34-A (4)(ii)

Dr. Sarika Thosar, C.P. College, Jabalpur Chairman Board of Studies, Marathi, is being nominated as Chairman, Central Board of Studies for Marathi, Rani Durgawati University, Jabalpur

NO. 654-55-CHE-Shakha-5A-2017

SUBJECT: Functional English

Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub-section (5) of section 34-A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 vide his order No. F-8-1/2014/R.S./U.A.-3/668 dated 29-05-2017, I, the Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh, Bhopal hereby constitute, the Central Board of Studies for under Graduate courses **Functional English** as under:-

Section 34-A (3)(i)

1. Dr. (Smt.) Mrinal Shrivastav, Chairman, Board of Studies in English, A.P.S. University, Rewa
2. Dr. Alok Chansoriya, Hawa Bagh Girls College, Jabalpur, Chairman, Board of Studies in English, Rani Durgawati University, Jabalpur
3. Dr. Roshan Bannameen Khan, S.A.B.V. Arts and Commerce College, Indore Chairman, Board of Studies in English Devi Ahilya University, Indore
4. Dr. Achala Sharma, Chairman, Board of Studies in English, Vikram University, Ujjain
5. Dr. Savita Shrivastava, Chairman, Board of Studies in English, Jiwaji University, Gwalior

Section 34-A (3)(ii)

1. H.O.D. English Govt. Sarojini Naidu P.G. Girls College, Bhopal
2. H.O.D. English Govt. Holkar Science College, Indore
3. H.O.D. English Govt. Hawa Bagh Girls College, Jabalpur
4. H.O.D. English Govt. Bhagwat Sahay, P.G. College, Gwalior

Section 34-A (3)(iii)

1. Dr. Pragya Rawat, Govt. Benazeer College, Bhopal
2. Dr. Alok Kumar Saxena, Govt. College, Ghatiya, Ujjain
3. Dr. Manoj Kumar Vyas, Govt. College, Mehgaon, Bhind

Section 34-A (3)(iv)

1. Dr. Vipin Kumar Jain, Dept. of English, D.A.V. P.G. College, Muzaffar Nagar, (UP)
2. Dr. Sanjeev Kumar Tyagi, Dept. of English, Bhim Rao Ambedkar College, Yamuna Vihar, Delhi
3. Dr. Vikas Kumar Sharma, Dept. of English, D.A.V. P.G. College, Bulandsehar, (UP)

Section 34-A (3)(v)

Commissioner nominee

Dr. Shri Prakash Sharashwat, Govt. College, Akoda, Bhind

Section 34-A (4)(ii)

Dr. (Smt.) Mrinal Shrivastav, Chairman, Board of Studies in English, A.P.S. University, Rewa is being nominated as Chairman, Central Board of Studies for Functional English,

NO. 652-55-CHE-Shakha-5A-2017

SUBJECT: Functional Hindi

Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub-section (5) of section 34-A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 vide his order No. F-8-1/2014/R.S./U.A.-3/668 dated 29-05-2017, I, the Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh, Bhopal hereby constitute, the Central Board of Studies for under Graduate courses **Functional Hindi** as under:-

Section 34-A (3)(i)

1. Dr. Dinesh Kumar Kushwaha, Chairman, Board of Studies in Hindi A.P.S University, Rewa
2. Dr. Rajrani Sharma, Chairman, Board of Studies in Hindi Jiwaji University, Gwalior
3. Dr. Vandna Agnihotri, Old G.D.C. Mata Jija Bai Girls P.G. College, Indore
Chairman Board of Studies in Hindi, Devi Ahilya University, Indore
4. Dr. Pushpa Dubey, C.S.A. Govt. P.G. College, Sehore Chairman Board of Studies in Hindi Barkatullah University, Bhopal

Section 34-A (3)(ii)

1. Head of the Dept. Hindi, Govt. K.R.G. Girls P.G. College, Gwalior
2. Head of the Dept. Hindi, Govt. Geetanjali Girls P.G. College, Bhopal
3. Head of the Dept. Hindi, Govt. Arts & Commerce P.G. College, Indore
4. Head of the Dept. Hindi, Govt. M.K.B. Girls P.G. College, Jabalpur

Section 34-A (3)(iii)

1. Head of the Dept. Hindi, Govt. T.R.S. College, Rewa
2. Head of the Dept. Hindi, Govt. Girls P.G. College, Saugar
3. Head of the Dept. Hindi, I.E.H.E. Bhopal

Section 34-A (3)(iv)

1. Dr. Shrinivas Pandey, Dept. of Hindi, Kashi Hindu Univeristy, Varanashi
2. Dr. Munna Tiwari, Dept. of Hindi, Bundelkhand University, Jhansi
3. Dr. Mithlesh Awasthi, Dept. of Hindi, Dr. Madhukar Rao Vashnik, E.W.S. College, Nagpur

Section 34-A (3)(v)

Commissioner nominee

Dr. Rameshwaram Tiwari, Govt. Girls P.G. College, Vidisha

Section 34-A (4)(ii)

Dr. Dinesh Kumar Kushwaha, Chairman Board of Studies, Hindi, A.P.S University, Rewa is being nominated as Chairman, Central Board of Studies for Functional Hindi,

NO. 650-55-CHE-Shakha-5A-2017

SUBJECT: Drawing & Painting

Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub-section (5) of section 34-A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 vide his order No. F-8-1/2014/R.S./U.A.-3/668 dated 29-05-2017, I, the Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh, Bhopal hereby constitute, the Central Board of Studies for under Graduate courses Drawing & Painting as under:-

Section 34-A (3)(i)

1. Dr. Kumkum Bhardwaj, Govt. M.L.B. P.G. Girls College, Kila Bhawan, Indore Chairman, Board of Studies in Drawing & Painting D.A.V.V. Indore
2. Dr. B.L. Singh Rodiya, Govt. Girls College, Ratlam, Chairman, Board of Studies in Drawing & Painting Vikram University, Ujjain
3. Dr. Rashmi Joshi, Govt. S.N.Girls P.G. College Bhopal Chairman, Board of Studies in Drawing & Painting Barkatullah University, Bhopal

Section 34-A (3)(ii)

1. Dr. Anjali Pandey, Govt. M.L.B. Girls P.G. College, Bhopal
2. Dr. Sadhna Chauhan, Govt. P.G. College, Dhar (MP)
3. Head of the dept. Govt. S.N. Girls P.G. College, Bhopal
4. Head of the dept. Govt. M.K.B. Arts & Commerce College, Jabalpur

Section 34-A (3)(iii)

1. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Arts and Commerce College, Ujjain
2. Dr. Pratima Raikwar, Govt. Girls College, Dewas
3. Head of the Dept. Govt. R.V.S. College, Morena
4. Head of the Dept. Govt. M.L.B. P.G. College, Kilabhawan, Indore

Section 34-A (3)(iv)

1. Dr. Him Chatarji, Dept. of Drawing & Painting, Himachal Pradesh University, Shimla
2. Dr. Hemant Dwivedi, Dept. of Drawing & Painting, Mohanlal Sukhadiya University, Jabalpur
3. Dr. Sadhna Seema, Dept. of Drawing & Painting, Dr. Bhim Rao Ambedkar University, Agra

Section 34-A (3)(i)

Commissioner nominee

Dr. Jaya Jain, Govt. K.R.G. College, Gwalior

Section 34-A (4)(ji)

Dr. Kumkum Bhardwaj, Govt. M.L.B. Girls P.G. College, Kila Bhawan, Indore Chairman, Board of Studies, Drawing & Painting, D.A.V.V. Indore is being nominated as Chairman, Central Board of Studies for Drawing & Painting

NO. 648-55-CHE-Shakha-5A-2017

SUBJECT: Public Administration

Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub-section (5) of section 34-A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 vide his order No. F-8-1/2014/R.S./U.A.-3/668 dated 29-05-2017, I, the Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh, Bhopal hereby constitute, the Central Board of Studies for under Graduate courses **Public Administration** as under:-

Section 34-A (3)(i)

1. **Dr. Vivek Mishra, Chairman, Board of Studies in Political Science, Rani Durgawati University, Jabalpur**
2. **Dr. Sandhya Shukla Govt. T.R.S. College Rewa, Chairman, Board of Studies in Political Science, A.P.S. University, Rewa**
3. **Dr. Arvind Shrivastav, Chairman, Board of Studies in Political Science, Devi Ahilya University, Indore**
4. **Dr. Neha Vashisht, Board of Studies in Political Science, Vikram University, Ujjain**
5. **Dr. A.P.S. Chouhan, Chairman, Board of Studies in Political Science, Jiwaji University, Gwalior**

Section 34-A (3)(ii)

1. **Head of the Dept. Public Administration, IEHE, Bhopal**
2. **Head of the Dept. Public Administration, S.N. Girls P.G. College, Bhopal**
3. **Head of the Dept. Public Administration, Govt. Neel Kantheshwar P.G. College, Khandwa**

Section 34-A (3)(iii)

1. **Head of the Dept. Public Administration, Jawaharlal Nehru Smriti College, Sujalpur**
2. **Head of the Dept. Public Administration, Govt. Madhav Arts and Commerce College, Ujjain.**

Section 34-A (3)(iv)

1. **Dr. Ramesh K. Arora, Dept. of Political Science, Rajasthan University, Jaipur**
2. **Dr. Surendra Katariya, Dept. of Political Science, J.L.N. University, Udaipur**
3. **Dr. Sanjay Lodha, Dept. of Political Science, Ajmer University, Ajmer**

Section 34-A (3)(v)

Commissioner nominee

Dr. Sandhya Billore Govt. Madhav Arts and Commerce College, Ujjain**Section 34-A (4)(ii)**

Dr. Vivek Mishra, Chairman Board of Studies, Political Science, Rani Durgawati University, Jabalpur is being nominated as Chairman, Central Board of Studies for Public Administration Rani Durgawati University, Jabalpur

NO. 646-55-CHE-Shakha-5A-2017

SUBJECT: Military Science (Defence & Strategic Studies)

Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub-section (5) of section 34-A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 vide his order No. F-8-1/2014/R.S./U.A.-3/668 dated 29-05-2017, I, the Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh, Bhopal hereby constitute, the Central Board of Studies for under Graduate courses Military Science (Defence & Strategic Studies) as under:-

Section 34-A (3)(i)

1. Dr. S.M. Salim, Bherulal Patidar Govt. P.G. College, Mhow, Indore
Chairman, Board of Studies in Defence & Strategic Studies D.A.V.V. University, Indore
2. Dr. Rajendra Kumar Vaidya, Govt. M.L.B. Girls College, Gwalior Chairman,
Board of Studies in Defence & Strategic Studies Jiwaji University, Gwalior
3. Dr. Mahesh Dubey, Govt. Madhav College, Ujjain Chairman, Board of Studies
in Defence & Strategic Studies Vikram University, Ujjain
4. Dr. Kailash Tyagi, Chairman, Board of Studies in Defence & Strategic Studies
Barkatullah University, Bhopal

Section 34-A (3)(ii)

1. Dr. R.S. Verma, Defence & Strategic Studies, Govt. M.V.M. P.G. College,
Bhopal
2. Dr. R.K. Shrivastava, Defence & Strategic Studies, Govt. Smt. Vijaya Raju
Scindia Degree College, Adokhar Bhind
3. Head of the Dept. Defence & Strategic Studies, Govt. Science College,
Jabalpur
4. Head of the Dept. Defence & Strategic Studies, Bherulal Patidar Govt. P.G.
College, Mhow, Indore

Section 34-A (3)(iii)

1. Dr. Mahendra Choudhry, Head of the Dept. Defence & Strategic Studies ,
Govt. Raja Mansingh College, Gwalior
2. Head of the Dept. Defence & Strategic Studies, Govt. Madhav Arts and Com.
College, Ujjain

Section 34-A (3)(iv)

1. Dr. Rajendra Prasad, Dept. of Defence & Strategic Studies, Sant Kabir
University, Allahabad
2. Dr. A.S. Yadav, Defence & Strategic Studies, Rajya Lok Sewa Ayog,
Allahabad
3. Dr. Satpal Vats, Defence & Strategic Studies, M.D. University, Rohtak,
Patiyala

Section 34-A (3)(v)

Commissioner nominee

Dr. Kishor Singh Rathore, Govt. M.L.B. Arts and Commerce College, Gwalior

Section 34-A (4)(ii)

Dr. S.M. Salim, Bherulal Patidar Govt. P.G. College, Mhow Indore Chairman
Board of Studies, Defence & Strategic Studies D.A.V.V. University, Indore is
being nominated as Chairman, Central Board of Studies for Military Science
(Defence & Strategic Studies) Studies

NO. 674-55-CHE-Shakha-5A-2017

SUBJECT: Education - B.Ed, B.Sc. B.Ed (Integrated Course), Rural Studies & Population Education

Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub-section (5) of section 34-A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 vide his order No. F-8-1/2014/R.S./U.A.-3/668 dated 29-05-2017, I, the Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh, Bhopal hereby constitute, the Central Board of Studies for under Graduate courses **Education - B.Ed, B.Sc. B.Ed (Integrated Course), Rural Studies & Population Education** as under:-

Section 34-A (3)(i)

1. **Dr. Nivedita Pal, Govt. Mata Gujari Girls College, Jabalpur Chairman, Board of Studies in Education Rani Durgawati University, Jabalpur**
2. **Prof. (Smt.) R. Mishra, Chairman Board of Studies in Education U.T.D. Devi Ahilya University, Indore.**
3. **Dr. Brajendra Singh, U.T.D. Chairman, Board of Studies in Education, Vikram University, Ujjain**
4. **Dr. Kalika Yadav, U.T.D. Chairman, Board of Studies in Adult Education Barkatullah University, Bhopal**

Section 34-A (3)(ii)

1. **Prof. (Smt.) Archana Dubey, U.T.D. Devi Ahilya University, Indore**
2. **Dr. J.P. Verma, H.O.D Education Shri Sai Mahavidyalaya, Vindhyanagar Rewa**
3. **Dr. Arvind Dixit, H.O.D Education P.G. B.T. College, Bhopal**
4. **H.O.D Education Pt. Ram Sundar Shukla, Shri Krishn Evam Prashikshan Sansthan Pahadiya, Rewa**

Section 34-A (3)(iii)

1. **Smt. Rakhi Gaur, Shri sai Mahavidyalaya Vindhya Nagar, Rewa**
2. **Dr. Ramesh Babu Regional institute of Education, Bhopal**
3. **Dr. Surendra Kumar Tiwari, Gulab Bai yadav, Education College Khargone**
4. **H.O.D Education K.S. College, Bhind**

Section 34-A (3)(iv)

1. **Dr. Arvind Pandey, Mahatma Gandhi Kashi Vidya Peeth, Varanashi (UP)**
2. **Dr. Rajendra Singh Yadav, Kurukshetra University, Kurukshetra (Haryana)**
3. **Dr. B.B. Singh, R.G.S. College, Agra (UP)**

Section 34-A (3)(v)

Commissioner nominee

Dr. Anil Kumar, Dept. of Management & Education, NITTTR Shamlia Hills, Bhopal

Section 34-A (4)(ii)

Dr. Nivedita Pal, Govt. Mata Gujari Girls College, Jabalpur Chairman, Rani Durgawati University, Jabalpur is being nominated as Chairman, Central Board of Studies for Education - B.Ed, B.Sc. B.Ed (Integrated Course), Rural Studies & Population Education

NEERAJ MANDLOI, Commissioner.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 12 मई 2017

रा. प्र. क्र. 02-अ-82-16-17-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	पूँछी	3.135	उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेल्वे, जबलपुर.	झुकेही-कैमोर कार्ड रेल लाईन की निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के भू-अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला कटनी के कार्यालय में, किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रा. प्र. क्र. 01-अ-82-16-17-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	करहिया	2.748	उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेल्वे, जबलपुर.	झुकेही-कैमोर कार्ड रेल लाईन की निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के भू-अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला कटनी के कार्यालय में, किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विशेष गढ़पाले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 23 मई 2017

प्र. क्र. 02-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीस, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	23100	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद.	बाढ़ नियंत्रण हेतु नर्मदा किरानें होमसाईंस कॉलेज के पास गाइडबण्ड निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बाढ़ नियंत्रण हेतु नर्मदा किरानें होमसाईंस कॉलेज के पास गाइडबण्ड निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश लवानिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 12 जून 2017

प्र. क्र. 02-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा (11) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि सिंहपुर बैराज परियोजना निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू-भाग को भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है, इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर	बरौहा	12.530	अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर.	सिंहपुर बैराज परियोजना डूब क्षेत्र के अर्जन बावत्.

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 25 मार्च 2017

क्र. 813-भू-अर्जन-2017—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने को लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राड गेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बालाघाट	बालाघाट	खैरी प.ह.नं. 12/54 रा.नि.म. बालाघाट.	रकबा-0.421 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट.

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm_balaghat@nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देख सकता है.
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण उप मुख्य अभियंता (निर्माण) द. पू. म. रेलवे नैनपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 1 फरवरी 2017

पत्र क्र. 25-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.

चूंकि लालगांव सुदर्शन कालेज चौरी पहुंच मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीन का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—कोलहाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.120 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
41/3	0.040
41/6	0.040
41/2	0.040
कुल रकबा . .	0.120

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—लालगांव सुदर्शन कालेज चौरी अप्रोच रोड मार्ग हेतु.
(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 24-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर

और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.

चूंकि लालगांव सुदर्शन कालेज चौरी पहुंच मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीन का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—लालगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.630 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
585/1	0.180
585/11	0.030
589	0.242
596, 597	0.146
599/1	0.032
कुल रकबा . .	0.630

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—लालगांव सुदर्शन कालेज चौरी अप्रोच रोड मार्ग हेतु.
(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 6 मई 2017

क्र. 263-भू-अर्जन-017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना

(ग) ग्राम—पटेहरा	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.094 हेक्टेयर.	38/2/क	0.027
खसरा	38/2/ख	0.027
क्र.		योग . . . 1.584
(1)	(2)	
3185	0.024	
3303/1	0.040	
3303/2	0.030	
योग . . .	0.094	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 264-भू-अर्जन-017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—बकिहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.584 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
क्र.	(हेक्टर में)
(1)	(2)
3	0.384
4	0.083
7	0.419
21	0.202
24/1	0.078
24/2	0.078
31	0.146
33	0.086
38/1/क	0.027
38/1/ख	0.027

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 266-भू-अर्जन-017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—हर्दिहाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.610 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
क्र.	(हेक्टर में)
(1)	(2)
152	0.432
159	0.052
609	0.024
615/1/क	0.102
योग . . .	0.610

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 267-भू-अर्जन-017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) नगर/ग्राम—नरसिंहपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.905 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
4	0.079
15	0.730
99	0.096
योग . .	<u>0.905</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— कार्यालय, कार्यपालन यंत्रि, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 5 जून 2017

“शुद्धिपत्र”

क्र. 1027-प्रशा.-भू-अर्जन-2017-पत्र क्र. 2484-प्रशा.-भू-अर्जन-2016—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. जो भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

की धारा 19 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2016 को प्रकाशित की गई थी. जिसमें अनुसूची (1) भूमि का वर्णन (क) जिला रीवा (ख) तहसील सेमरिया (ग) ग्राम पुरैनी 379 प्रकाशित की गई थी जिसे तहसील सेमरिया के स्थान पर तहसील हुजूर पढ़ा जाए, शेष यथावत रहेगा.

क्र. 1029-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) ग्राम—कंजी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.012 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
170	0.012
योग . .	<u>0.012</u>

ब-शासकीय भूमि

निरंक	योग अ + ब . .	निरंक
	योग . .	<u>0.012</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “पुरवा नहर की चचाई वितरक नहर की कंजी सब-माइनर का में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1031-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास

और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		(1)	(2)
		74/2	0.021
		75	0.041
		76	0.004
	अनुसूची	111/1	0.012
(1) भूमि का वर्णन—		111/2	0.012
(क) जिला—रीवा		112/1	0.012
(ख) तहसील—हुजूर		112/2	0.012
(ग) ग्राम—भिटवा		113/1/1	0.014
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.262 हेक्टेयर.		133/1/2	0.014
खसरा नं.	अर्जित रकबा	114	0.024
	(हे. में)	115	0.012
(1)	(2)	116	0.012
	अ-निजी पट्टे की भूमि	122	0.041
17	0.051	123	0.041
18	0.024	124/2	0.021
19/1	0.281	131	0.024
19/2	0.046	132	0.041
20	0.041	134	0.036
27/1	0.032	136	0.036
27/2	0.041	139/2	0.016
27/3	0.048	142/2	0.053
28/1	0.042	144	0.004
28/2	0.042	145	0.004
28/3	0.061	146	0.004
29/2	0.004	147	0.004
30	0.168	148/2	0.036
31	0.032	148/3	0.036
34	0.016	148/4	0.041
35	0.121	149	0.004
52/1	0.032	151	0.004
53/1	0.045	156	0.021
54	0.041	158	0.008
55/1	0.012	159	0.069
69	0.046	160	0.020
70	0.004		
71	0.041		योग . . 2.234
72	0.041		ब-शासकीय भूमि
73	0.128	150	0.028
74/1/1	0.032		योग अ+ब
74/1/2	0.008		योग . . 2.262

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “पुरवा नहर की चचाई वितरक नहर की भिटवा सब-माइनर नहर का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1033-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—विसार
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.113 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
----------	--------------------------

(1)	(2)
-----	-----

अ-निजी पट्टे की भूमि

1/4	0.042
8/1	0.004
8/3	0.067

योग . .	<u>0.113</u>
---------	--------------

ब-शासकीय भूमि

निरंक	Nil
-------	-----

योग अ+ब	
---------	--

योग . .	<u>0.113</u>
---------	--------------

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “पुरवा नहर की चचाई वितरक नहर की भिटवा सब-माइनर नहर का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 12 जून 2017

क्र. 1043-प्रशा.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम—चकदही
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.638 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
----------	--------------------------

(1)	(2)
-----	-----

अ-निजी पट्टे की भूमि

82/1	0.086
79/2	0.120
80/1	0.122
65/KA	0.232
66	0.078
70/1/2	0.092
70/1/3	0.116
70/1/4	0.094
70/2	0.043
70/3	0.017
71/1/3	0.08
157/KA/2/KHA	0.096
165	0.190
166	0.220
168	0.024

योग . .	<u>1.608</u>
---------	--------------

ब-शासकीय भूमि

167	0.030
-----	-------

योग . .	<u>0.030</u>
---------	--------------

योग अ+ब . .	<u>1.638</u>
-------------	--------------

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “पुरवा मुख्य नहर के सराय माइनर

नहर के निर्माण आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.	(1)	(2)
	180	0.02
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	182/1	0.01
	182/2	0.01
	183/1	0.01
	184	0.01
	209	0.02
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.	210/1, 210/2	0.31
	211/1, 211/3	0.36
	227/1	0.05
	228/1	0.06
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	229	0.04
	230/1	0.07
	230/2	0.03
जबलपुर, दिनांक 9 जून 2017	231	0.03
	232	0.02
क्र. 45-भू-अर्जन-ई.-1-प्र. क्र. 02-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में वर्णित भूमि के कॉलम (3) में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. (2) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	234/2, 234/1	0.17
	235	0.03
	241	0.03
	242	0.02
	243	0.02
	245	0.32
	246	0.03
	247/1	0.11
	247/2	0.02
अनुसूची	248	0.03
(1) भूमि का वर्णन—	249	0.03
(क) जिला—जबलपुर	250	0.04
(ख) तहसील—जबलपुर	251	0.03
(ग) ग्राम—कुगवां, प.ह.नं. 34, नं. ब. 499, रा.नि.मं. :—जबलपुर-1.	253	0.02
(घ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल—3.24 हेक्टेयर.	254	0.01
	255	0.04
	256	0.02
	257	0.02
खसरा	258	0.08
रकबा	259	0.02
नम्बर	(हेक्ट. में)	
(1)	(2)	
169/1	0.03	260
173	0.02	261/1, 261/2, 261/3,
174/1, 174/2, 174/4	0.22	261/4/क, 261/4
175/1	0.06	262
176	0.02	263/1
177/1	0.01	263/2
177/2	0.01	264/2
183/2	0.01	266
178	0.02	267
179	0.02	268
		270
		योग . . .
		3.24

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पाटन शाखा नहर निर्माण हेतु.
- (3) चूंकि उक्त नहर निर्माण कार्य अति आवश्यक की श्रेणी में आता है. अतः धारा 19 की उपधारा (2) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
- (5) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी इकाई क्र. एक बरगी हिल्स, जबलपुर एवं कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई लोधी सागर, बांयी तट नहर संभाग क्र. 2, बरगी हिल्स, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जबलपुर, दिनांक 12 जून 2016

क्र. . . . भू-अर्जन-प्र. क्र. 01-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में वर्णित भूमि के कॉलम (3) में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. 2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अंतर्गत एदुद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—कुण्डम
(ग) ग्राम—किवलारी (प.ह.नं. 42) रा.नि. मण्डल कुण्डम
(घ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल—1.450 हे. एवं इस पर आने वाली अन्य सम्पत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14	1.450
योग . .	1.450

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दरगढ़ जलाशय के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) चूंकि दरगढ़ जलाशय निर्माण कार्य अति आवश्यक की श्रेणी में आता है. अतः धारा 19 की उपधारा (2) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
- (5) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कुण्डम के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. . . . भू-अर्जन-प्र. क्र. 02-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में वर्णित भूमि के कॉलम (3) में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. 2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अंतर्गत एदुद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—कुण्डम
(ग) ग्राम—दरगढ़ (प.ह.नं. 27) रा.नि. मण्डल इमलाई
(घ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल—4.43 हे. एवं इस पर आने वाली अन्य सम्पत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
63	0.480
123	1.950
121	2.000
योग . .	4.430

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दरगढ़ जलाशय के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) चूंकि दरगढ़ जलाशय निर्माण कार्य अति आवश्यक की श्रेणी में आता है. अतः धारा 19 की उपधारा (2) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(5) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कुण्डम के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.	(1)	(2)
	46/3	0.09
	45/1	0.13
	45/3	0.21
	43	0.03
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेश चंद्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.	42/4	0.13
	41/6	0.06
	41/2	0.03
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	41/9	0.15
	498	0.15
	44/1	0.17

सिवनी, दिनांक 9 मई 2017

योग . . . 2.37

क्र. 2787-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा
(ग) नगर/ग्राम—सुनवारा, प.ह.नं. 34
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—2.37 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
60/1	0.09
59/1	0.05
60/2	0.03
59/2	0.04
57	0.08
56	0.15
54	0.03
53	0.13
41/8	0.04
499/1	0.12
49	0.17
47	0.11
42/1	0.12
46/2	0.06

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—अपर तिलवारा नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

सिवनी, दिनांक 11 मई 2017

क्र. 1084-जि.भू.अ.-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—केवलारी
(ग) ग्राम—चावरमारा, प.ह.नं. 06
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.96 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
157/3	0.05
165/3	0.22

(1)	(2)	(1)	(2)
166	0.24	36/2	0.115
176	0.04	36/3	0.025
177	0.19		योग . . 0.290
168/1	0.40		
172/2	0.01		
174/3	0.11		
178/3	0.30		
179/3	0.10		
	योग . . 1.96		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 13 जून 2017

प्र. क्र. 8969-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—आंवल्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.290 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
34	0.050
36/1	0.100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“नागदा-धार गुजरी मार्ग (राजमार्ग क्रमांक 31) के निर्माण हेतु.”

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इंदौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 2 मई 2017

प्र. क्र. 04-अ-82 वर्ष 2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, सम्पत्ति की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है, कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(निजी खाता)

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—पटेरा
(ग) नगर/ग्राम—कुम्हारी, पडरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.27 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
ग्राम—कुम्हारी	
474 में से	0.01
475 में से	0.04
653 में से	0.03
654 में से	0.04

(1)	(2)
ग्राम—पडरी	
36/2 में से	0.05
78/2 में से	0.10
योग . . . 0.27	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है दमोह कटनी मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड हटा तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रो. डे. कॉप. लि., सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

संशोधित अधिसूचना

प्र. क्र. 07-अ-82 वर्ष 2015-2016.—संशोधित चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है। आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(निजी खाता)

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—पटेरा
(ग) नगर/ग्राम—कुसमी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.22 हेक्टेयर।

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
115/1 में से	0.12
117/1 में से	0.10
योग . . . 0.22	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—नई बंदी जलाशय में बांध के डाउन स्टीम में रोड निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि।

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड हटा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग दमोह संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

दमोह, दिनांक 10 फरवरी 2017

प. क्र. . . . भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद क्र. (1) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—बटियागढ़
(ग) ग्राम—रामपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.48 हेक्टेयर।

खसरा नंबर	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे. में)	कुल अर्जित रकबा
(1)	(2)	(3)
2/2	0.080	0.080
3/1	0.220	0.220
22/4	0.180	0.180
कुल योग . . . 0.480		0.480

कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा 0.480 हेक्टेयर।

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पथरिया तथा कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा, मुख्यालय दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव।